





क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत

कार्ययोजना



ग्राम पंचायत - सरवन तारा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार









क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत

कार्ययोजना



ग्राम पंचायत - सरवन तारा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार





प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

Email: doeuplko@yahoo.com; Website: www.upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

सुश्री कृतिका शर्मा, आईएएस, जिलाधिकारी, श्रावस्ती श्री अनुभव सिंह, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री नेहल गौतम, सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री स्वाति गुप्ता, श्री नवीन कुमार, सुश्री फातिमा सैला

ग्राम प्रधान, सरवन तारा

श्री दिलीप कुमार शुक्ल

क्षेत्रीय शोध समर्थन


गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (GEAG)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के.के. सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया





कृतिका शर्मा, आई.ए.एस.



जिलाधिकारी, श्रावस्ती।

2 05250—(का0) 222287, (आ0) 222888, 222541 ईमेल—dmshr@nic.in अर्द्वशा0पत्रसं0— *2205* दिनांक *29* जनवरी, 2024

-:: संदेश ::-

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सरवनतारा, विकास खण्ड—इकौना, जनपद श्रावस्ती की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा परिस्थिति की तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े है और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट रमार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

में इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विमाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

धन्यवाद !



अनुभव सिंह, आई.ए.एस.



ि 05250−(का0) 222595, मो0−9454464850 अर्द्वशा0पत्रसं0− ↓206 दिनांक ~ 29 जनवरी, 2024

मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।

-ः संदेश :--

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत सरवनतारा, विकास खण्ड—इकौना, जनपद श्रावस्ती की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये ज़मीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा परिस्थिति की तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुडे है और हमारे लिये ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुडे जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी। धन्यवाद !

(अनुभव सिंह)



दिलीप कुमार शुक्ल प्रधान

ग्राम पंचायत- सरवनतारा वि0 ख0 इकौना-श्रावस्ती



पता - निवास : ग्राम-सरवनतारा पो0 जयचन्दपुर कटघरा इकौना-श्रावस्ती मो0 9935596915, 7905109069

दिनांक, 23/01/2024

पत्रांक : मेमो

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सरवन तारा, विकास खण्ड एकौना, जनपद श्रावस्ती

आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत सरवन तारा, जनपद श्रावस्ती की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मै अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम / प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकडे एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये में स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए. जी), गोरखपुर का तथा आंकड़ें एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सिक्रय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपित प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद!

(प्रधान)

ग्राम पंचायत सरवन तारा



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	 सरवन तारा ग्राम पंचायत एक नज़र में जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ कार्यरत महिलाएं कृषि प्राकृतिक संसाधन सरवन तारा में सुविधाएं 	4 5 6 7 7 8 9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित संस्तुतियाँ	12
	 हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना जल निकायों का प्रबंधन तथा कायाकल्प और अपिशष्ट जल प्रबंधन सतत कृषि सतत ठोस अपिशष्ट प्रबंधन स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सतत और उन्नत गितशीलता आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना 	13 17 22 27 32 43 47
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	50
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	56
8	आगे की राह	62
8	अनुलग्नक	63

चित्र तालिका

चित्र 1	:	सरवन तारा ग्राम पंचायत, श्रावस्ती जिला का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2	:	वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, सरवन तारा, 1990-2018	6
चित्र 3	:	कुल वार्षिक वर्षा (मिमी), सरवन तारा, 1990-2019	6
चित्र 4	:	सरवन तारा में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5	:	सरवन तारा में पारिवारिक स्तर पर आय का अनुमान	6
चित्र 6	:	सरवन तारा में राशन कार्ड वाले परिवार	6
चित्र 7	:	सरवन तारा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8	:	सरवन तारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	7
चित्र 9	:	सरवन तारा में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण	7
चित्र 10	:	वर्ष 2022 में सरवन तारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र ११	:	वर्ष 2022 में सरवन तारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10

कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की सरवन तारा ग्राम पंचायत भाबर और तराई मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सरवन तारा

की जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना पंचायत स्तर पर जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने और इसे 2035 तक जलवायु स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। कार्य योजना में ग्राम पंचायत के लिए विशिष्ट चरणवार गतिविधियां सुझाई गयी है जिससे ग्राम पंचायत की सहनशीलता बढ़े, उसकी अनुकूली शक्ति सुदृढ़ हो तथा जोखिमों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आए। साथ ही, गांव के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजन हो, गांव के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सहित गांव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आए और गांव के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्य योजना तैयार की गई है। सरवन तारा ग्राम पंचायत के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे सरवन तारा ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

सरवन तारा के महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्राकृतिक संसाधनों तथा क्षेत्र सर्वेक्षणों से प्राप्त सुझावों को इस कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रस्तावित गतिविधियां क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और केन्द्रिय समूह परिचर्चा से उभरे प्रमुख मुद्दों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, ये गतिविधियां कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हरियाली को बढ़ाने, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित करती हैं।

ग्राम पंचायत में एक राजस्व गाँव और 309 घर हैं जिनकी कुल आबादी 1,735² है जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान रिपोर्ट किया गया था। सरवन तारा ग्राम पंचायत मुख्य

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण साधनों का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग तथा ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) तकनीक, जिसमें समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण, सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण आदि सम्मिलित है, द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं योजना विकास

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा का विकास: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा विकसित की गई थी। इस रूपरेखा में सरवन तारा की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं सम्मिलित हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और एचआरवीसीए में प्राप्त उत्तरों के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट: सरवन तारा में प्रमुख गतिविधियों* के कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया है।
- प्रस्तावित सुझाव: सरवन तारा ग्राम पंचायत के पहचाने गए पर्यावरण और जलवायु संबंधी मुद्दों के आधार पर के लिए संस्तुतियाँ विकसित की गईं हैं। यह संस्तुतियाँ भाबर एवं तराई का मैदान इलाकों की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। इसके अतिरिक्त, सरवन तारा ग्राम पंचायत की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का भी निर्धारण किया गया है।कार्य योजना के विकास के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर खामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के साथ-साथ जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी।
- * गतिविधियों में सम्मिलित हैं- बिजली की खपत से उत्पन्न उत्सर्जन, आवासीय खाना बनाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, चावल की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

¹ इस ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, इसका शमन और खतरे का जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए /HRVCA) के पहलू सम्मिलित है।

^{2 2011} जनगणना के आंकड़े: जनगणना 1,049

आर्थिक गतिविधियों में कृषि और गैर-कृषि मजदूरी शामिल हैं । एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~946 tCO,e³ है।

सरवन तारा ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना, जैसे कि सोलर रूफ टॉप, सोलर-संचालित पम्प, और घरों
 और सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा कुशलता फिक्स्चर आदि
- आजीविका विकल्पों में विविधता लाना और हरित नौकरियों/सेवाओं के अवसर बढ़ाना
- जलजमाव को कम करने और सड़क एवं जल निकासी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना
- हरित स्थानों को बढ़ाकर, जल प्रबंधन में सुधार करके और सतत कृषि पद्धितयों को अपनाकर जलवायु परिवर्तन के अनुरूप (क्लाइमेट रेसिलिएंट ग्राम पंचायत) का निर्माण करना हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं के दौरान उभर के आए मुद्दों, तथा ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संस्तुतियों को प्रस्तुत किया गया है। यह संस्तुतियाँ कृषि, जल, स्वच्छ ऊर्जा, हिरत स्थलों को बढ़ावा देना, सतत कचरा प्रबंधन, सतत आवागमन, और बेहतर आजीविका और हिरत उद्यमिता के विषयों को समाहित करते हुए तैयार की गयी है। इन सुझावों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण। (वर्ष 2024-2027), चरण॥ (वर्ष 2027-2030) और चरण॥। (वर्ष 2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतवासियों की सहमित से वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं के समर्थन के साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के संभावीत स्रोत भी बताए गए हैं।

सरवन तारा के लिए जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे सरवन तारा की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से सम्मिलित किया जा सकता है।।

इस प्रकार क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना सरवन तारा जीपीडीपी को और सुदृढ़ बनाएगी :

- क. वर्तमान विकास कार्यों और गतिविधियों में जलवायु दृष्टिकोण को सम्मिलित करेगी
- ख. जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और प्रदेश के कार्यक्रमों को जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जुड़ाव

इस कार्य योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को सरवन तारा जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ प्रमुखता से लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी में कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा बजट आवंटन का उपयोग कार्ययोजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकायों के कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के "गैर-पारंपरिक ऊर्जा" विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 2,337 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e) को टाला जा सकता है/कम किया जा सकता है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 31,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂) तक जा सकती है। विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को सम्मिलित करने और स्वयं वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹29.3 करोड़ (11 वर्ष से अधिक) है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत (लगभग ₹10.25 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशन/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है जबिक शेष लागत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) और निजी निधियों से प्राप्त की जा सकती है।

³ ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त आंकड़ें और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक के अनुसार

क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ







ग्राम पंचायत की रूपरेखा

सरवन तारा ग्राम पंचायत

सरवन तारा ग्राम पंचायत एक नज़र⁴ में

0	स्थान	एकौना ब्लॉक, श्रावस्ती जिला
	कुल क्षेत्रफल [ु]	224 हेक्टेयर॰
	संघटन	1 राजस्व ग्राम
883	कुल जनसंख्या	1,735
Q	पुरुषों की संख्या	925
	महिलाओं की संख्या	810
	कुल परिवारः	309
	कुल पीआरआई भवन	4 - पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र, अन्नपूर्णा कृषि गोदाम
7	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	কৃषি
÷ <u>6</u>	भूमि का उपयोग कृषि भूमि 101.17 कृषि वानिकी वृक्षारोपण सार्वजनिक भूमि 4.4 शेष भूमि: 104.33	14.1 हेक्टेयर हेक्टेयर

जल संसाधनः



7 तालाब 1 नदी 21 कुएँ

कृषि-जलवायु क्षेत्र10

- भाबर और तराई का मैदान
- जलवायु परिस्थितियाँ: उच्च वर्षा के साथ उपोष्णकटिबंधीय



- अधिकतम तापमान 38.4 °C
- न्यूनतम तापमान- 5.5°C
- वार्षिक वर्षा- १४०० मिमी
- मिट्टी का प्रकार- उपजाऊ, PH सामान्य से थोड़ा क्षारीय और मध्यम मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है।



जिले का समग्र जोखिम सूचकांक (सीवीआई)"

मध्यम

जिले की क्षेत्रीय संबंधी जोखिम

- आपदा प्रबंधन संबंधी जोखिम: बहुत अधिक
- ऊर्जा संबंधी जोखिम: बहुत अधिक



- ग्रामीण विकास संबंधी जोखिम: बहुत अधिक
- स्वास्थ्य संबंधी जोखिम: बहुत अधिक
- जल संबंधी जोखिम: अधिक
- वन संबंधी जोखिम· मध्यम
- 4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकड़े (फरवरी, 2023)
- 5 भुवन (BHUVAN) के डेटा से पता चलता है कि जीपी का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है जो इस वेबसाइट https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.htmlपर उपलब्धष है।
- एचआरवीसीए के अनुसार जीपी का क्षेत्रफल 226 हेक्टेयर है
- 7 आयोजित आरंभिक क्षेत्र सर्वेक्षण नोट्स कुल जनसंख्या- 1304; पुरुष- 709 ; महिला- 595 जनगणना 2011 डेटा नोट्स: कुल जनसंख्या-1049; पुरुष- 570; महिला- 479
- 8 213 पक्के मकान और 96 कच्चे मकान
- 9 जैसा कि एचआरवीसीए में दर्शाया गया है
- 10 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश
- 11 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: सरवन तारा ग्राम पंचायत, श्रावस्ती जिला का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

जलवायु परिवर्तनशीलता - तापमान और वर्षा - पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)12 से प्राप्त आंकड़ें यह संकेत देते हैं कि 1990 और 2018 के बीच क्षेत्र (जिला श्रावस्ती) में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी आई है, जबिक वार्षिक औसत अधिकतम तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखता है (चित्र 2 देखें)। 1990 से 2019 के बीच, वार्षिक वर्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ों से पंचायत स्तर की तापमान परिवर्तनशीलता का विवरण मुश्किल है। इसके अतिरिक्त ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए डेटा उपलब्ध नहीं था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच सम्पूर्ण एशिया विश्व की भूमि और महासागर औसत से अधिक तेजी से गर्म हुए है और 2010-2020¹³ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी प्रकार के निष्कर्षों की पुष्टि आईपीसीसी¹⁴ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁵ द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 15-20 दिनों की वृद्धि और शीतकाल के दिनों में लगभग 45 कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20-25 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।


जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकडें के साथ-साथ पंचायत में प्रचलित सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया।

¹² दैनिक तापमान व वर्षा का डेटा बैहराइच स्थित भारतीय मौसम विभाग के मौसम केंद्र से लिया गया है


¹³ https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

¹⁴ https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

¹⁵ https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगरलिंक



चित्र 2: वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, सरवन तारा, 1990-2018




चित्र 3: कुल वार्षिक वर्षा (मिमी), सरवन तारा, 1990-2019

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ


ग्राम पंचायत के अधिकतर परिवारों की मुख्य आय का स्रोत खेती है जिस पर लगभग 42 प्रतिशत परिवार निर्भर है। शेष परिवार पशु-पालन, गैर-कृषि मजदूरी, स्थानीय व्यवसायों और सेवा क्षेत्र आजीविका पर निर्भर है (चित्र 4 देखें)।

प्राथमिक सर्वेक्षण से घरेलू स्तर की आय के अनुमान से पता चलता है कि अधिकांश परिवार (39 प्रतिशत) ₹50,000 प्रतिवर्ष से कम कमाते हैं। कुछ परिवार (10 प्रतिशत) ₹2 लाख से ₹5 लाख के बीच कमाते हैं (चित्र 5 देखें)। सर्वेक्षण के समय ग्राम पंचायत के 5 प्रतिशत



चित्र 4: सरवन तारा में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत


परिवार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे थे। राशन कार्ड डेटा से पता चलता है कि लगभग 65 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से केवल 10 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं। (चित्र 6)।



¹⁶ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

कार्यरत महिलाएं

ग्राम पंचायत में 86 कामकाजी महिलाएँ हैं। सरवन तारा में अधिकांश महिलाएं पशुपालन में संलग्न हैं। रोज़गार के अन्य स्नोतों में कृषि और गैर-कृषि मजदूरी सम्मिलित हैं। कुछ महिलाएँ सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों में सम्मिलित हैं (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 12 महिला प्रधान परिवार (कुल घरों का 3.5 प्रतिशत) हैं । क्षेत्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि सरवन तारा में 10 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं। ये एसएचजी विभिन्न गतिविधियों जैसे सिलाई, अपशिष्ट संग्रह, संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र (आरआरसी) का प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों का प्रबंधन आदि में सम्मिलित हैं।




चित्र 7: सरवन तारा में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

कृषि


लगभग 42 प्रतिशत परिवार जो आय के लिए कृषि पर निर्भर हैं (चित्र 4 देखें), विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत खेती करते हैं¹⁸, जैसा चित्र 8 में दिखाया गया है।

सरवन तारा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 101.17 हेक्टेयर है व सकल फसल क्षेत्र 167.94 हेक्टेयर है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख ख़रीफ़ फ़सलें धान (~2,900 क्रिटल/वर्ष) और गन्ना (~1,000 क्रिटल/वर्ष) हैं। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं (~2,500 क्रिटल/वर्ष), सरसों (~700 क्रिटल/वर्ष), और मसूर (~200 क्रिटल/वर्ष) हैं। चित्र 9 ग्राम पंचायत में कुल फसल क्षेत्र (हेक्टेयर) का फसल-वार वितरण दर्शाता है। सिंचाई का मुख्य स्रोत नहरें हैं व सिंचाई के अन्य स्रोतों में वर्षा जल, ट्यूबवेल, व व्यक्तिगत बोरिंग और पंप सम्मिलित हैं। सिंचाई के लिए 80 डीजल पंप और 1 सोलर पंप हैं।

ग्राम पंचायत की 35 प्रतिशत जनसंख्या पशुपालन में संलग्न है। सरवन तारा में कुल पशुधन आबादी 440 (220 गाय, 110 भैंस, और 110 बकरियां) हैं।



चित्र 8: सरवन तारा में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9: सरवन तारा में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

¹⁷ महिला प्रधान परिवार वे घर हैं जहाँ महिलाएँ एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

¹⁸ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से कृषि में संलग्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे भूमि मालिक भी बड़े खेतों पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी भूमि के मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

प्राकृतिक संसाधन

सरवन तारा से 8 किमी उत्तर में राप्ती नदी बहती है। ग्राम पंचायत में सात तालाब हैं, जिनमें से दो अमृत सरोवर के रूप में विकसित किये जा रहे हैं। शेत्रीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत में कोई वन भूमि नहीं है। सरवन तारा में 4.4 हेक्टेयर सामान्य भूमि है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा (~3.2 हेक्टेयर) अतिक्रमित है। पिछले 15-20 वर्षों से सरवन तारा में कृषि वानिकी के रूप में वृक्षारोपण गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में, ये वृक्षारोपण कुल 14.1 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। वृक्षारोपण को राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (एनएएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से लागू किया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया कि सागौन, आम, नीलिगरी, महुआ, बरगद और पीपल प्रमुख वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया गया था जिनकी औसत जीवित रहने की दर 80 प्रतिशत थी।

¹⁹ जैसा कि प्राथमिक सर्वेक्षण में बताया गया है, ये मनसा अमृत सरोवर और शक्ति अमृत सरोवर हैं

सरवन तारा में सुविधाएं20

बिजली और एलपीजी

- बिजली की पहुंच: 93.5 प्रतिशत घरों तक²¹
- एलपीजी कवरेज: 64.7 प्रतिशत परिवार

पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत में आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत भूजल
- 3.2 प्रतिशत घरों में पाइप से जलापूर्ति होती है

अपशिष्ट

- खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल
- पारिवारिक शौचालय कवरेज: 100 प्रतिशत

गतिशीलता और बाज़ार तक पहुँच

- राशन की दुकान- ग्राम पंचायत के भीतर
- राष्ट्रीय राजमार्ग-७ से कनेक्टिविटी १ किलोमीटर
- रेलवे स्टेशन- 45 किलोमीटर²²
- बस स्टेशन- १५ किलोमीटर
- कृषि मण्डी- २७ किलोमीटर
- डाक घर- 15 किलोमीटर
- बैंक- १५ किलोमीटर

शिक्षा


शासकीय प्राथमिक विद्यालय











²¹ जैसा कि प्राथमिक सर्वेक्षण में बताया गया है

²² जैसा कि एचआरवीसीए में बताया गया है



कार्बन फुटप्रिंट

ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (अर्थात, ग्रीनहाउस कार्बन (GHG) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस अभ्यास का उद्देश्य ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रेखा विकसित करना था। इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि इस योजना का उद्देश्य एक कार्बन शून्य ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट-स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ होंगे जो शायद ग्राम पंचायत को कार्बन नूट्रल या कार्बन नेगेटिव बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में जीएचजी (GHG) प्रक्षेपण सम्मिलित नहीं हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट Life मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, ग्राम पंचायत सरवन तारा ग्राम पंचायत ने गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला से लगभग 946 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत²³, खाना पकाने के लिए ईंधन में लकड़ी और एलपीजी का दहन, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और पिरवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) का उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, फसल अवशेष जलाना और पशुधन और खाद प्रबंधन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: वर्ष 2022 में सरवन तारा में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कृषि क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन सरवन तारा के कुल उत्सर्जन का 51 प्रतिशत था, जिसमें पशुधन (~222 tCO₂e) और धान की खेती (~ 199 tCO₂e) प्रमुख योगदानकर्ता हैं। कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 41 प्रतिशत है। क्षेत्र के भीतर, परिवहन क्षेत्र (~125 tCO₂e) प्रमुख उत्सर्जक है। अन्य उत्सर्जक हैं खाना पकाने के लिए ईंधन का उपयोग (~109 tCO₂e), डीजल पंप सेट (83 tCO₂e) एवं बिजली की खपत (~65 tCO₂e)। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: वर्ष 2022 में सरवन तारा के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

²³ बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है



व्यापक मुद्दे

पहचाने गए व्यापक मुद्दे पंचायत की आधारभूत रेखा/बेसलाइन को स्थापित करने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों और किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों तथा समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पृष्टि उपलब्ध सरकारी डेटा स्रोतों से भी की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूर्ण रूप से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए पंचायत स्तर के आंकड़ें पृष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे संबंधित विषयों के अनुशंसा अनुभाग/सुझावों में सूचीबद्ध किए गए हैं:

व्यापक मुद्दे

- मौसमी अविध में बदलाव और अनियमित वर्षा से बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- मानसून के महीनों में अक्सर जलजमाव की घटना होती है।
- अस्थाई कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ है।
- सीमित अपशिष्ट जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ।
- जल निकायों सिहत प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव है।
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता है।
- सीमित अंतर और गांव के अंदर कनेक्टिविटी/सीमित पैरा-ट्रांजिट है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी है।
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव है।



प्रस्तावित संस्तुतियाँ

षयगत प्रत्येक मुद्दे में कई हस्तक्षेप सम्मिलित हैं, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁴ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में विभाजित किया गया है: चरण-। (2024-25 से 2026-2027); चरण-॥ (2027-28 से 2029-30); और चरण-॥ (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों के प्रभावी अनुश्रवण और कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वर्षवार (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) वितरित किया जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य विकसित करने का खाका "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" से संदर्भित किया जा सकता है। एसओपी एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु स्मार्ट कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

चिह्नित किये गए वित्तपोषण के स्रोतों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या सीएसआर हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत सुझाव निम्नलिखित हैं:

कार्ययोजना में सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

- 1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
- 2. जल निकायों का प्रबंधन तथा कायाकल्प और अपशिष्ट जल प्रबंधन
- 3. सतत कृषि
- 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- 5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
- **६. सतत एवं उन्नत गतिशीलता**
- 7. आजीविका एवं हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों की भी एक सूची बनाई गई है जो पहले भारत के कुछ हिस्सों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं और यहाँ भी दोहराई जा सकती हैं। हालांकि, इन पहलों/प्रयासों को उत्तर प्रदेश कि किसी चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है, इस कारण इन पहलों/प्रयासों हेतु वित्त कि उपलब्धता समुदायों द्वारा अथवा सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में सम्मिलित किया गया है।

²⁴ लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे: ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से इनपुट, अथवा प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान, अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति यूनिट अनुमानित लागत अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।



1. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ एवं मुद्दे²⁵

- ग्राम पंचायत में सीमित हरित स्थान हैं।
- सरवन तारा में कृषि वानिकी के रूप में ~14.1 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया गया है। रोपे गए प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में सागौन, आम, नीलिगिरी, महुआ, बरगद और पीपल शामिल हैं। रोपित वृक्षों की औसत जीवित रहने की दर लगभग 80 प्रतिशत है²।
- ग्राम पंचायत में ~4.4 हेक्टेयर आम भूमि है जिसका उपयोग हिरयाली और वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। परन्तु क्षेत्रीय सर्वेक्षण में इसके एक हिस्से पर अतिक्रमण होने की सूचना मिली थी।

सरवन तारा ग्राम पंचायत में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल थर्मल आराम में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा बिल्क ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अविध में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में सुधार करने में भी मदद करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चटण 2024-25 से 2026-27 2030-31 से 2034-35 2027-28 से 2029-30 1. विभिन्न प्रयासों के माध्यम से 1. मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी 1. वन क्षेत्र, बाल वन, खाद्य वन और वार्षिक समुदाय-आधारित अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव का रखरखाव वृक्षारोपण गतिविधियों का 2. बाल वन के निर्माण के साथ 2. कृषि-वानिकी पहल के अंतर्गत आयोजन²⁷: अतिरिक्त वृक्षारोपण29 क्षेत्र का विस्तार छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम28 (५ छात्र चयनित) देसी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण

²⁵ जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोत द्वारा पृष्टि की गयी

²⁶ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान मिली सूचना के अनुसार

²⁷ पेड़ों की प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं।

²⁸ स्कूली छात्र पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक कक्षा से कुछ छात्र लीडर्स को चुना जाएगा जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत जनसमुदाय को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे

²⁹ नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्मोत्सव पर स्वदेशी सदाबहार पौधे उपहार में दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चों के जीवन में पौधों का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

- पौध उपलब्ध कराने हेतु
 पॉलीहाउस नर्सरी की स्थापना
- छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र:
 - i. वन एवं हरित आवरण का महत्व
 - ii. पेड़ कैसे लगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें
 - iii. वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजातियाँ और इसकी संवेदनशीलता
- आरोग्य वन का विकास भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों³⁰, झाड़ियों आदि का रोपण

- किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित³¹
 किया जाए
- 4. आरोग्य वन की स्थापना की जाए
- आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों कि स्थापना की जाए
- 4. नर्सरी का रखरखाव

- बाल वन निर्माण हेतु 1,500 पौधे लगाना
 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता
 8,400 से 15,000 tCO₂
- 2 1 नर्सरी की स्थापना
- आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर का आवंटन/सीमांकन
- 1,500 से 2,000 पौधे लगाना
 15-20 वर्षों में पृथक्करण
 क्षमता 11,200 से 20,000
 tCO₂
- आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव
- 22 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी (2,200 पेड़ लगाना) पृथक्करण क्षमता 20 वर्षों में 12,320 tCO₂ से 22,000 tCO₂
- अतिरिक्त 32 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी
 3,200 पौधे लगाना (सागौन की पृथक्करण क्षमता 20 वर्षों में 17,920 से 32,000 tCO₂
- 2. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रहे (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में वर्णित है)

अक्ष्य

³⁰ उपयुक्त प्रजातियाँ अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध हैं।

³¹ उपयुक्त भूमि में कृषिवानिकी अपनाई गई। यहां 54 हेक्टेयर (गेहूं और सब्जियां) पर विचार किया गया है।

- 1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,000
- 2. नर्सरी की स्थापना: ₹2,00,000 कुल लागत: ₹21,05,000
- 1. वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹19,05,0000 - ₹12,80,000
- 2. कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹8,80,000 कुल लागत: ₹27,85,000 - ₹34,20,0000

कृषि वानिकी गतिविधियाँ: ₹12,80,000



🭘 जन जैवविविधता रजिस्टर

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	 जन जैविविधिता रिजस्टर का सहभागी अद्यतन समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना 	 जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण सभी हितधारकों के बीच जागरूकता में निरंतर वृद्धि 	 जन जैवविविधता रजिस्टर का निरंतर एवं नियमित अद्यतनीकरण सभी हितधारकों के बीच जागरूकता में निरंतर वृद्धि
ਲਵਧ	 जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं क्षमता वृद्धि जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतनीकरण जारी रहे	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतनीकरण जारी रहे
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और प्रशिक्षण: ₹25,000³²		

³² जैवविविधता प्रबंधन समितियों को संचालित करने के दिशा-निर्देश (BMCs), 2013, National Biodiversity Authority. Guidelines for BMC

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Moefcc), ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य वृक्षारोपण लक्ष्य द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को संरेखित और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण निधि (राज्य सीएएमपीए निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग को निम्नलिखित के लिए निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी और जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' प्रदान करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी पर उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » ₹28,000 प्रति हेक्टेयर कृषि वानिकी वृक्षारोपण का लाभ
 - » वृक्षारोपण के लिए सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ का कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बीएमसी के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग और स्वयं के आय के स्रोत (ओएसआर) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए सीएसआर फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए किया जा सकता है जैसा कि "आजीविका को बढाने और हरित उद्यमिता को बढावा देने" के सुझाव में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग



2. जल निकायों का प्रबंधन तथा कायाकल्प और अपशिष्ट जल प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्रोत भूजल है। केवल ~3% घरों में पाइप से जलापूर्ति की पहुंच है³³।
- ग्राम पंचायत में जल जमाव एक प्रमुख मुद्दा है, खासकर मानसून के महीनों के दौरान। यह अकुशल और खराब रखरखाव वाले बुनियादी जल निकासी ढांचे के कारण और भी गंभीर हो गया है।
- जल निकायों का रख-रखाव अपर्याप्त है। ग्राम पंचायत के सभी 7 तालाब अनुपचारित अपशिष्ट जल और अपिशृष्ट डंपिंग के संपर्क में हैं।
- ग्राम पंचायत में 21 कुओं में से 19 मलबे और अपिशृष्ट से भरे हुए हैं, और उनमें खरपतवार उग आए हैं, जिससे वे अनुपयोगी हो गए हैं।

सरवन तारा ग्राम पंचायत में भूजल पर निर्भरता, तालाबों और कुओं की खराब स्थिति और ग्राम पंचायत मे पाइप्ड जल कनेक्टिविटी की कमी स्वच्छ पेयजल तक पहुंच में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन में सुधार और जल संरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरवन तारा में संवेदनशीलता को कम करने, जलवायु परिवर्तन अनुरूप बनाने और जल सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं।

³³ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया है



ि वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)

चटण	2024-25 से 2026-27	। 2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	 सभी सरकारी भवनों-पंचायत भवन में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना भूजल प्रबंधन हेतु पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को अनिवार्य करना गांव/बस्ती स्तर पर पानी समितियां या ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या जल उपयोगकर्ता समिति की स्थापना 	 2,000 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना; ग्राम पंचायत में बड़े घरों को पहले चुना जाएगा चिह्नित जलग्रहण क्षेत्रों में अधिक भूजल पुनर्भरण गड्ढों/खाइयों की खुदाई सभी नई इमारतों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित किया जाए 	 1,000 वर्ग फुट आकार के भूखंड से ऊपर के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नई भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना
ਲ क्ष्य	 पंचायत भवन के लिए आरडब्ल्यूएच की स्थापना 45 रिचार्ज गड्ढ़ों का निर्माण 	 3 पक्के घरों में 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना 	 10 m³ की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच स्थापित करने के लिए 12 पक्के घर आवश्यकतानुसार अधिक पुनर्भरण गड्ढे खोदना
अनुमानित लागत	 सरकारी भवन में आरडब्ल्यूएच: ₹35,000 पुनर्भरण गड्ढों की लागत: ₹15,75,000 कुल लागत: ₹16,10,000 	आरडब्ल्यूएच: 3 इकाइयों के लिए ₹1,05,000 कुल लागत: ₹1,05,000	आरडब्ल्यूएच- 12 इकाइयों के लिए ₹4,20,000 कुल लागत: ₹4,20,000



चटण

🥞 जल निकायों और मौजूदा बुनियादी ढाँचों का रखरखाव

सुझाई गई जलवाय् स्मार्ट गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

- कुओं की सफाई एवं मरम्मत
- तालाबों का जीर्णोद्धार एवं बाउंड़ी निर्माण
- 3. जल निकायों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण
- 4. पानी टंकी की रेट्रोफिटिंग एवं मरम्मत
- हैण्डपम्प प्लेटफार्म की ऊंचाई
- जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड रोपित
- 2. जल निकायों का रखरखाव

जल निकायों का आवधिक रखरखाव

- 17 कुओं की सफाई एवं मरम्मत
- 4 तालाबों का जीर्णोद्धार एवं बाउंड़ी निर्माण
- 4 तालाबों की सफाई एवं बाउण्ड्री निर्माण
- 4. सामान्य तथा लुप्तप्राय पेडों के 1000 पौधे लगाए जाएंगे और कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित की जाएगी (ट्री गार्ड का उपयोग करके) - 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढाना' अनुभाग में सम्मिलित किया गया है।
- 15 हैण्डपम्पों की मरम्मत:
 - » 3 फीट ऊंचे प्लेटफार्म वाले 10 हैंडपंप
 - » 1.5 फीट ऊंचे प्लेटफार्म वाले 5 हैंडपंप

- सभी 7 तालाबों का रख-रखाव
- 2. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 1000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर को सुनिश्चित किया जाना (ट्री गार्ड का उपयोग करके)

सभी जल निकायों का रखरखाव एवं प्रबंधन

अक्ष्य

कुओं की सफाई: ₹17,00,000

- 2. 4 तालाबों की सफाई एवं बाउंड्री निर्माण: ₹36,00,000
- 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षों का रोपण 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना अनुभाग में सम्मिलित किया गया है
- 4. पानी की टंकी की रेट्रोफिटिंग: ₹50,000
- हैंडपंप की ऊंचाई: ₹2,25,000

कुल लागत: ₹55,75,000

- तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000
- 2. ट्री गार्ड के साथ वृक्षों का रोपण: - 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढाना' अनुभाग में सम्मिलित किया गया है

तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000



जल निकासी और बुनियादी सीवेज ढांचे में सुधार

-	
	₽
- 1	2
-1	_
- 1	P

2024-25 से 2026-27

। **■** 2027-28 से 2029-30

Ш

2030-31 से 2034-35

- जल निकासी के लिए साइफन स्थापित करना
- 2. नये नालों का निर्माण
- 3. गुलवा नाले की सफाई
- 4. अपशिष्ट जल के उपचार हेतु जैविक जल उपचार इकाई की स्थापना
- सामुदायिक शौचालय का निर्माण

- ग्राम पंचायत में नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव
- सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव
- ग्राम पंचायत में नालियों और साइफन का नियमित रखरखाव
- सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव

सुझाई गई जलव स्मार्ट गतिविधि

- पानी के निकास के लिए 4 साइफन स्थापित करना
- 1.3 किमी जल निकासी नेटवर्क का निर्माण
- 3. गुलवा नाले की सफाई
- 4. अपशिष्ट जल के उपचार हेतु 2 जैविक जल उपचार इकाई की स्थापना
- एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण

- सभी नालियों और साइफनों का नियमित रखरखाव
- सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव
- 1. सभी नालियों और साइफनों का नियमित रखरखाव
- सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव

लक्ष्य

साइफन की स्थापना: ₹20,00,000

- नाली नेटवर्क निर्माण: ₹3,00,000
- गुलवा नाले की सफाई:
 ₹60,00,000
- जैविक अपशिष्ट जल उपचार:
 ₹20,00,000
- एक शौचालय के निर्माण की लागत: ₹15,00,000 कुल लागत: ₹1,18,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

नुमानित लागत

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- यू.पी. सिंचाई विभाग के राज्य के वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और बहाली गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक बजट और पीएमकेएसवाई के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

 जल निकायों और कुओं के रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को जल निकाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



3. सतत कृषि

संदर्भ एवं मुद्दे ३४

- सरवन तारा में कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल ~101 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र ~168 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में 42% परिवार कृषि पद्धितयों पर निर्भर हैं और 35% परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~58 हेक्टेयर), गन्ना (~20 हेक्टेयर), गेहूं (~50 हेक्टेयर, और सरसों (~14 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत में 2018 से 2022 के बीच विलंबित और अनियमित मानसून वर्षा का अनुभव हुआ है, जिसके कारण फसल बर्बाद हो
 गई और विशेष रूप से धान के लिए बुआई के पैटर्न में बदलाव आया। इसके अतिरिक्त, ~60 हेक्टेयर कृषि भूमि जल-जमाव की
 लगातार घटनाओं (2018-2022 के बीच वार्षिक घटना) से प्रभावित होती है।
- 2018 और 2022 के बीच, अनियमित वर्षा, भीषण गर्मी के मौसम के साथ-साथ बीमारियों के कारण फसल के नुकसान की सूचना मिली। ये नुकसान लगभग 3,620. क्रिटल उपज या लगभग ₹62 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी को ध्यान रख कर गणना की गई है) का है।
- किसान प्रति वर्ष ~26.3 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~50 टन CO₂e का GHG उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- सरवन तारा में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- उपरोक्त बिंदु अनुकूलित क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धितयों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

³⁴ जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोत द्वारा पृष्टि की गयी



जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चट्रण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

2030-31 से 2034-35

- ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना
- कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों से मेडबंधी
- 3. कृषि तालाबों का निर्माण
- 4. चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना
- किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना

 सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार

2027-28 से 2029-30

- 2. मेडबंधी का विस्तार
- अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण
- 4. सूखा सहन करने वाली किस्म अपनाने की चरण 1 गतिविधियों को जारी रखना
- 5. बाजरा और दलहन जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलें अपनाना
- 6. किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूकता पैदा करने और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल करना

- 1. सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का विस्तार
- मेड़बंधी का रख-रखाव एवं वृक्षारोपण
- अतिरिक्त वृक्षारोपण (आवश्यकता अनुसार)
- 4. मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव
- चावल और गेहूं की सूखा प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना

- ~11 हेक्टेयर (30%) कृषि भूमि
 पर सूक्ष्म सिंचाई
- लगभग 50.58 हेक्टेयर (50%) कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी का निर्माण
- 3. प्रत्येक 300 m³ क्षमता के 4 कृषि तालाबों का निर्माण
- सूखा सिहष्णु किस्मों को अपनाने के बारे में तकनीकी ज्ञान का प्रसार और प्रशिक्षण

- ~15 हेक्टेयर (70%) कृषि भूमि
 पर सूक्ष्म सिंचाई
- शेष 101.17 हेक्टेयर (100%)
 कृषि भूमि के चारों ओर पेड़ों के साथ मेडबंधी का निर्माण
- 3. 300 m³ क्षमता वाले 10 कृषि तालाबों का निर्माण

~11 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई

ನಭಿ

- 1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹11,00,000
- 2. मेड़बंधी का निर्माण: लगभग ₹1,07,000
- 3. खेत तालाब: ₹3,60,000 कुल लागत: ₹15,67,000
- 1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹15,00,000
- 2. मेड़बंधी का निर्माण: लगभग ₹1,07,000
- 3. खेत तालाब: ₹9,00,000 कुल लागत: ₹25,07,000

सूक्ष्म सिंचाई: ₹11,00,000

कुल लागत: ₹11,00,000



🗽 प्राकृतिक खेती (पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएँ)

		3 6 22 22 2	
चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	। । । 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	जैव-उर्वरक/जैविक खाद, जैव- कीटनाशकों के उपयोग जैसे प्राकृतिक कृषि पद्धतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना » प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन » प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण की शुरुआत » मार्केट लिंकेज स्थापना की पहल	चरण । की गतिविधियों का विस्तार	चरण । की गतिविधियों का विस्तार
लक्ष्य	15.17 हेक्टेयर (15%) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	अतिरिक्त 25.29 हेक्टेयर (40% संचयी) भूमि को प्राकृतिक खेती में	शेष 60.7 हेक्टेयर (100% कवर) भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित
31		परिवर्तित करना	करना
अनुमानित लागत	 प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन: ₹~37,48,000 कुल लागत: ₹38,08,000 	 प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन: ₹62,49,000 कुल लागत: ₹63,09,000 	 प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 कृषि भूमि का प्राकृतिक पद्धति में परिवर्तन: ₹1,49,99,000 कुल लागत: ₹1,50,23,000

सतत पशुधन प्रबंधन

₽
h
H

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

। 2024-25 से 2026-27

। 2027-28 से 2029-30

Ш

2030-31 से 2034-35

- पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में संलग्न परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना
- 2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-वेट के रूप में प्रशिक्षित करना
- पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें

- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
- आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना

- पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना
- 2. 2 पैरा-वेट्स³ का प्रशिक्षण
- रोग की रोकथाम और सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
- पशुधन के स्वास्थ्य के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- रोग की रोकथाम और सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना
- पशुधन के स्वास्थ्य के लिए समुदाय का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

लक्ष्य

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

मनुमानित लागत

³⁵ पंचायत की आवश्यकता के आधार पर समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- सूखा प्रबंधन और अभेद्य प्रक्रियाओं (प्रूफिंग प्रथाओं) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), यूपी बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- सूखा रोकथाम गतिविधियों तथा नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक कृषि पद्धितयों को विभिन्न योजनाओं जैसे: परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के कल्याण के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि
 प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सेट-अप और संचालन ("सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक इनपुट, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन, सूखे सिहत जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना, कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन को प्रमाणित करना।
- इसके अतिरिक्त, सरवन तारा में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रावस्ती
- सीआईपीएम एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र







4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजिनक और अर्ध-सार्वजिनक स्थान और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा लगभग ~138 किलोग्राम प्रति दिन है। इसमें से 80.5 किलोग्राम बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा है और 58 किलोग्राम गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरा है³⁶।
- सरवन तारा में अपिशष्ट संग्रहण, पृथक्करण और प्रभावी अपिशष्ट उपचार प्रणाली की कमी है, जिसके कारण ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर जल निकायों और खाली भूखंडों में और उसके आसपास अपिशष्ट डंप किया जाता है। इसके पिरणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित होते हैं, मानसून के दौरान नालियों के बंद होने के कारण जल-जमाव होता है और कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का खतरा बढ़ जाता है।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपिशष्ट भी अपिशष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ा रहे हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 440 है (गायों, भैंसों और बकिरयों सिहत) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 3 टन प्रतिदिन है³⁷ और बकिरयां 150 ग्राम/गोबर/दिन पैदा करती हैं)। इसे ग्राम पंचायत में खाद, वर्मीकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

³⁶ अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध ।∨ देखें

³⁷ यह अनुमानित किया गया है कि गायें प्रतिदिन 10 किलो गोबर पैदा करती हैं, भैंसें 15 किलो गोबर प्रतिदिन पैदा करती हैं



चट्टण

2030-31 से 2034-35

2024-25 से 2026-27

- स्रोत पर ही (घरेलू, व्यावसायिक, आदि) गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना
- सभी घरों से अलग किए गए कचरे का घर-घर जाकर संग्रह करना
- पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव: गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे हेतु
- घरों से जीपी स्तर के पृथक्करण और भंडारण सुविधा तक अलग किए गए कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए 1 विद्युत् वाहन
- चिन्हित स्थानों (बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कचरा संग्रहण डिब्बे की स्थापना
- पंचायत, एसएचजी, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच साझेदारी स्थापित करना

 पंचायत -स्तरीय पृथक्कीकरण और भंडारण सुविधा का रखरखाव

2027-28 से 2029-30

- 2. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रख-रखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चिन्हित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त व्यवस्था
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
- 4. पंचायत-स्तरीय रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक श्रेडर इकाई की स्थापना

- जीपी-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का निरंतर रखरखाव
- प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सुविधा को सक्षम करने के लिए प्लास्टिक श्रेडर सुविधा स्थापित करें
- 3. मौजूदा कूड़ादानों का रखरखाव
- 4. पंचायत -स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर सुविधा का रखरखाव (ब्लॉक स्तर की सुविधा पर निर्भर नहीं)
- 5. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/ जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 विद्युत् वाहन

- ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 309 घर (100%) सम्मिलित
- 3. 20 कूड़ादानों की स्थापना
- अतिरिक्त 10 कूड़ादानों की स्थापना
- 1 पंचायत -स्तरीय प्लास्टिक श्रेडर इकाई
- मौजूदा सुविधाओं और कचरे का रखरखाव प्रबंधन प्रणाली
- मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
- 2. साझेदारी को बढ़ाना

अक्ष्य

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

अनुमानित लागत

- 1. 1 विद्युत् वाहन: ₹1,05,000
- 20 कूड़ादान/कंटेनर: ₹40,000 कुल लागत: ₹1,45,000
- 1. 10 कूड़ादान/कंटेनर: ₹20,000
- 1 प्लास्टिक श्रेडर यूनिट:
 ₹50,000 ₹1,00,000
 कुल लागत:

₹70,000 - ₹1,20,000



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ चरण

-2024-25 से 2026-27

- वर्मीकम्पोस्टिंग एवं नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना
- जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यम स्थापित करना ("आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)

2027-28 से 2029-30

वर्मीकम्पोस्टिंग एवं नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रख-रखाव

Ш

2030-31 से 2034-35

वर्मीकम्पोस्टिंग एवं नाडेप कम्पोस्ट गड्ढों का नियमित रख-रखाव

- 15 वर्मीकम्पोस्ट एवं 45 नाडेप कम्पोस्ट गङ्ढों की स्थापना।
- घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद: 40 किलोग्राम प्रतिदिन; प्रति माह 1200 किग्रा

100% बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट का उपचार 100% बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट का उपचार

ಹಭ

१५ वर्मीकम्पोस्ट और ४५ नाडेप गड्ढे: ₹7,05,000 (*एचआरवीसीए में दर्शाई गई कुल लागत) कुल लागत: ₹7,05,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

उपयोग और कम होगा क्योंकि

विकल्प आसानी से उपलब्ध होंगे



(%) एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

	Cutty 344141 Courte Millian				
चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35		
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमः ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और व्यवसायिक प्रतिष्ठान साझेदारी मॉडलः "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना (अनुभाग (सुझाव 2)" में विस्तार से बताया गया है) 	निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम	 निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पिछले चरणों की सफलता को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों तक प्रयासों का विस्तार करने के लिए मॉडल के रूप में उपयोग किया जा सकता है 		
	1. एकल उपयोग प्लास्टिक	1. एसयूपी पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध को	1. एसयूपी पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध को		
	(एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध	जारी रखना	जारी रखना		
	2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद	2. उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का	2. उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का		

बनाने में 100 महिलाओं को

लगाया जाएगा

होंगे

उपयोग और कम होगा क्योंकि

विकल्प आसानी से उपलब्ध

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्ढों के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है;
 पृथक्करण और भंडारण शेड।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत पहल द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- सीएसआर फंडिंग और पंचायत-निजी-साझेदारी मॉडल प्लांट (पीपीपी) संयंत्रों, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यमों, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए अपशिष्ट परिवहन ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड फंड सहित पंचायत के स्वयं के संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- जनस्वास्थ्य विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड













5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

संदर्भ एवं मुद्दे

- सरवन तारा ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 में लगभग 77,668 यूनिट बिजली की खपत की गई थी । ग्राम पंचायत में 93.5% घरों में बिजली कनेक्शन हैं, पर बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है, जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों ने बताया। ग्राम पंचायत में प्रति दिन औसतन 8-10 घंटे बिजली कटौती होती है।
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैक-अप के लिए ग्राम पंचायत में 1 डीजल जनरेटर है जो सालाना लगभग ~2.4 kL ईंधन की खपत करता है।
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 80 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है जो सालाना लगभग 26.2 kL ईंधन की खपत करते हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइटें और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजिनक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। ग्राम पंचायत में अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (55 स्ट्रीट लाइट) की भी आवश्यकता व्यक्त की ।
- 270 घरों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। रसोई में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को अपनाने की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी बल्कि इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में उष्ण आराम का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थानीय शीतलन की आवश्यकता बढ़ गई है।

सरवन तारा ग्राम पंचायत में पहचानी गई प्रमुख ऊर्जा संबंधी चिंताओं के आधार पर, सरवन तारा ग्राम पंचायत में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं जिसमे केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में लॉन्च किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 के संयोजन करनी की जरूत हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, टिकाऊ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढाने में भी मदद मिलेगी।



सौर छत संस्थापना (कुल क्षमता = 480 MW; छत का कवर किया गया क्षेत्रफल = 5983 वर्ग मीटर)

चट्टण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक: प्राथमिक विद्यालय, पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर, अन्नपूर्णा गोदाम П

2027-28 से 2029-30

- 61 (55%) पक्के घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप³⁸
- सभी नए निर्माणों में सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक स्थापित किया जा सकता है

2030-31 से 2034-35

- शेष 92 घरों के लिए सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक सेट-अप (मौजूदा पक्के घरों का 100%)
- सभी नए निर्माणों में सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टिक स्थापित किया जा सकता है

- 1. सौर छत क्षमता स्थापित:
 - » पंचायत भवन (~ 81.29 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 5 किलोवाट
 - » प्राथमिक विद्यालय भवन (~136.56 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 10 किलोवाट
 - अारआरसी (~50.4 वर्ग मीटर छत क्षेत्र):3 किलोवाट
 - » अन्नपूर्णा गोदाम (~56 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 3 किलोवाट
- 2. स्थापित सौर छत क्षमता: 21 kWp
- बिजली उत्पन्न: लगभग 28,123
 kWh प्रति वर्ष (~77 यूनिट प्रति दिन)
- जीएचजी उत्सर्जन को कम करना: प्रति वर्ष लगभग 23 टन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e)

हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।

- प्रित घर स्थापित सौर छत क्षमता (~65 वर्ग मीटर छत क्षेत्र): 3 kWp
- 2. स्थापित सौर छत क्षमता: 183 kWp
- बिजली उत्पन्न: लगभग
 ~2,45,073 kWh प्रति वर्ष³⁹
 (671 यूनिट बिजली प्रति दिन)
- जीएचजी उत्सर्जन को कम करना : प्रति वर्ष लगभग 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e)

- स्थापित अतिरिक्त सौर क्षमता:
 276 kWp
- कुल उत्पादित बिजली:
 ~3,70,000 kWh⁴⁰ प्रति वर्ष (~1,015 यूनिट बिजली प्रति दिन)
- जीएचजी उत्सर्जन को कम करना: प्रति वर्ष 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e)⁴¹

38.CL

³⁸ ग्राम पंचायत में 60 घरों में पहले से ही छत पर सौर संस्थापित है

³⁹ यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तमान बिजली की खपत से तीन गुना अधिक होने की संभावना है

⁴⁰ यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्तमान बिजली खपत से चार गुना अधिक होने की संभावना है

⁴¹ उत्सर्जन से बचने से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

चट्ट	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
अनुमानित लागत	कुल लागत: ₹10,50,000 (₹50,000/ kWp)	₹91,50,000 (₹50,000/kWp) सांकेतिक सब्सिडी⁴²: ~40% (राज्य + सीएफए) प्रभावी लागत: ₹54,90,000	₹1,38,00,000 (₹50,000/kWp) सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य +सीएफए) प्रभावी लागत: ₹82,80,000
4	गौर पंप (कुल क्षमता = 4	४० किलोवाट)	
चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 16 (20%) मौजूदा डीजल पंप सेटों को सौर पंपों से बदलना* यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है 	 अतिरिक्त 24 (प्रथम चरण को जोड़ते हुए कुल 50%) डीज़ल पंप और 1 इलेक्ट्रिक पंप के स्थान पर सौर पंप लगाना नए स्थानों पर केवल सौर पंप लगाए जा सकते हैं 	 शेष 40 डिज़ल पंप के स्थान पर और अधिक पंप लगाना (100% कवरेज का लक्ष्य प्राप्त) नए स्थान पर केवल सौर पम्प लगाआ ए सकते हैं
	 स्थापित क्षमता: 88 kWh सौर ऊर्जा आधारित बिजली का उत्पादन: 1,17,850 kWh प्रति वर्ष डीज़ल की खपत से बचाव: 6,240 लीटर/वर्ष उत्सर्जन को कम करना: प्रति वर्ष 16.8 टन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e उत्सर्जन) 	 स्थापित क्षमता: 132 kWh सौर ऊर्जा आधारित बिजली का उत्पादन: 1,77,000 kWh प्रति वर्ष डीज़ल की खपत से बचाव: 9,360 लीटर/वर्ष उत्सर्जन को कम करना: प्रति वर्ष 25.2 टन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e उत्सर्जन) 	 कुल स्थापित क्षमता: 220 kWh सौर ऊर्जा आधारित बिजली का उत्पादन: 3,95,000 kWh प्रति वर्ष डीज़ल की खपत से बचाव: 15,600 लीटर/वर्ष उत्सर्जन को कम करना: प्रति वर्ष 42 टन डाइऑक्साइड ई (tCO₂e उत्सर्जन)

ಹಭ

⁴² सब्सिडी परिवर्तनशील होती हैं और समय-समय पर राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदल सकती हैं। इसलिए, सब्सिडी की राशि का अनुमान पिछले रुझानों और औसतों पर आधारित है और यह वर्तमान समय में सटीक नहीं हो सकती।

- ₹48,00,000-₹80,00,000
 (₹3,00,000-₹5,00,000/ 7.5
 एचपी सोलर पंप)
- 2. सब्सिडी: 60% (राज्य +सीएफए)
- प्रभावी लागत: ₹19,20,000–
 ₹32,00,000
- ₹72,00,000-₹1,20,00,000
 (₹3,00,000-5,00,000/7.5
 एचपी सोलर पंप)
- सब्सिडी: 60% (राज्य +सीएफए)
- 3. प्रभावी लागत: ₹28,80,000– ₹48,00,000
- 1. ₹1,20,00,000— ₹2,00,00,000 (₹3,00,000— ₹5,00,000/ 7.5 एचपी सोलर पंप)
- सब्सिडी: 60% (राज्य +सीएफए)
- 3. प्रभावी लागत: ₹48,00,000– ₹80,00,000



🕮 रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग / क्लीन कुकिंग

चटण	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 उदाहरण 1: बायोगैस + एलपीजी परिवार उदाहरण 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी उदाहरण 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी 	 उदाहरण 1: बायोगैस + एलपीजी परिवार उदाहरण 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + एलपीजी उदाहरण 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी 	 उदाहरण 1: बायोगैस + एलपीजी परिवार उदाहरण 2: सौर ऊर्जा चालित इंडक्शनकुकस्टोव + एलपीजी उदाहरण 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + एलपीजी

परिदृश्य 1: 19 परिवार (25% परिवारों में 2 से 4 मवेशी हैं) + 290 एलपीजी का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 35 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों का 100%) + 274 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग

परिदृश्य 3: 35 परिवारों द्वारा (उच्च आय वर्ग में परिवारों का 100%) + 135 परिवारों द्वारा बेहतर चूल्हे का उपयोग (परिवारों का 50% जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) + 139 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग *ग्राम पंचायत में कुल परिवार = 309 2-4 मवेशियों के साथ 75 परिवार वर्त्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले परिवार: 270 शीर्ष आय वर्ग में परिवार = 35 परिदृश्य 1: अतिरिक्त 19 उपयोग वाले बायोगैस संयंत्र (50% घरों में 2 से 4 मवेशी हैं) + 271 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग करते हैं परिदृश्य 2: 35 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में एचएच का 100%) + 274 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग परिदृश्य ३: ३५ परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों का 100%) + अतिरिक्त 270 परिवारों द्वारा उन्नत चूल्हे का उपयोग (परिवारों का 100% जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग

इसमें ग्राम पंचायत के शेष घरों में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

करते हैं)

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 37 परिवारों द्वारा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% घरों में 2 से 4 मवेशी हैं) + 234 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग

परिदृश्य 2: 35 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों का 100%) + 274 परिवारों द्वारा एलपीजी का उपयोग (चरण ॥ के अनुसार) परिदृश्य 3: 35 परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग (उच्च आय वर्ग में परिवारों का 100%) + अतिरिक्त 270 घरों में उन्नत चूल्हे का उपयोग (परिवारों का 100% जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) इसमें ग्राम पंचायत के शेष घरों में

एलपीजी का निरंतर उपयोग भी

सम्मिलित है

परिदृश्य 1 की लागत: ₹9,50,000, परिदृश्य 2 की लागत: ₹15,75,000 परिदृश्य 3 की लागत: ₹19,80,000 औसत लागत ~ ₹15,00,000 परिदृश्य 1 की लागत: ₹9,50,000, परिदृश्य 2 की लागत: ₹15,75,000 परिदृश्य 3 की लागत: ₹8,10,000 औसत लागत ~ ₹11,11,000 परिदृश्य 1 की लागत: ₹18,50,000 परिदृश्य 2 की लागत: ₹15,75,000 परिदृश्य 3 की लागत: ₹8,10,000 औसत लागत ~ ₹14,11,000



चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	बागवानी (सब्जियां और फल) और दलहन फसलों (आलू, केला, फूलगोभी, टमाटर, अरहर, बाजरा, मसूर, उड़द) के अंतर्गत कृषिगत भूमि पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना	बागवानी (सब्जियां और फल) और दलहन फसलों (आलू, केला, फूलगोभी, टमाटर, अरहर, बाजरा, मसूर, उड़द) के अंतर्गत कृषिगत भूमि पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना को बढ़ाना
ਲਖ਼ਧ	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्र आयोजित करना	~2.1 हेक्टेयर बागवानी और दलहन फसल भूमि पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित क्षमता: 525 किलोवाट विद्युत उत्पादन: 7,03,080 kWh प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 576.52 टन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)	~4.2 हेक्टेयर बागवानी और दलहन फसल भूमि पर एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना: स्थापित क्षमता: 1,050 किलोवाट विद्युत उत्पादन: 14,06,160 kWh प्रति वर्ष जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: प्रति वर्ष 1153.05 टन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)
10			
अनुमानित लागत	आवश्यकता के अनुसार	कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना⁴³: ₹5,25,00,000	एग्रो-फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन: ₹11,53,05,000
ന			

⁴³ समय के साथ प्रोद्योगिकी/तकनीकों में प्रगति हो रही है जिसके परिणामस्वरूप एग्रो-पीवी की लागत में कमी आ रही है हालाँकि जो अनुमानित लागत वर्णित की गयी है वो अधिक हो सकती है। इसके साथ ही यह माना जा रहा है की, क्यूंकि किसान बागवानी और सामान प्रकृति की अन्य फसलों हेतु निर्धारित भूमि/कृषि भूमि के लिए भी फसल चक्र अपनाते है इस कारण एग्रो-पीवी की स्थापना के लिए बागवानी अंतर्गत उपलब्ध भूमि का केवल कुछ प्रतिशत को ही ध्यान में रखा गया है।



चटण			III ,
च	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 सभी सरकारी भवनों (पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय) में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदलना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) से अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सभी नए निर्माण कार्यों में केवल एलईडी बल्ब और ट्यूब लाइट लगाना 	 घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट लगाना घरों में 1 पारंपिरक पंखे को ऊर्जा कुशल पंखे से बदलना सभी नए निर्माणों में केवल एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखे ही लगाना 	घरों में पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
ਲਵਧ	 पंचायत के सभी सरकारी भवनों में एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों के साथ मौजूदा फिक्स्चर की 100% प्रतिस्थापन 309 मौजूदा ट्यूब लाइटों को बदलकर सभी (100%) घरों में एलईडी ट्यूब लाइट लगाना (प्रत्येक घर में 1) 	 सभी (100%) घरों में अतिरिक्त 15 एलईडी ट्यूब लाइटें लगाना (प्रत्येक घर में अतिरिक्त 2) सभी (100%) घरों में 309 ऊर्जा कुशल पंखे लगाना (प्रत्येक घर में 1) 	सभी (100%) घरों में अतिरिक्त 430 ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
भनुमानित लागत	एलईडी ट्यूब लाइट की कीमत: ₹68,000	 एलईडी ट्यूबलाइट की कीमत: ₹3,330 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹3,42,990 कुल लागत: ~₹3,46,000 	ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹4,77,300 कुल लागत: ₹4,77,000

1	b
1	2
1	7
	-

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

2024-25 से 2026-27

П

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

- प्रमुख स्थानों पर 2 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना
- सड़कों, सार्वजिनक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर 45 एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना
- मौजूदा स्ट्रीटलाइट्स का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यक्तानुसार)

- अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट्स में अपग्रेड करना
- 2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर नई सौर एलईडी और हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट की स्थापना
- मौजूदा स्ट्रीटलाइट का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यक्तानुसार)

- मौजूदा एलईडी स्ट्रीटलाइट्स को सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट में अपग्रेड करना
- 2. सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य प्रमुख स्थानों पर नई सौर एलईडी और हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट की स्थापना
- मौजूदा स्ट्रीटलाइट का रखरखाव और मरम्मत (आवश्यक्तानुसार)

- पंचायत भवन एवं प्राथमिक विद्यालय में 1-1 सोलर हाईमास्ट की स्थापना।
- सड़कों के किनारे 45 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना।
- . मौजूदा 60 अतिरिक्त एलईडी स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट में अपग्रेड करना
- सरकारी भवनों, सार्वजिनक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास अतिरिक्त 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना।
- सड़कों, फुटपाथों, आंतरिक सड़कों पर अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना (आवश्यक्तानुसार)

- शेष 60 मौजूदा एलईडी स्ट्रीट लाइट को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट में अपग्रेड करना
- सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना
- 3. सड़कों, फुटपाथों, आंतरिक सड़कों पर अतिरिक्त सौर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना (आवश्यक्तानुसार)

ಹ

अनुमानित लागत

- पंचायत भवन एवं प्राथिमक विद्यालय प्रत्येक में 1 सोलर हाईमास्ट की स्थापना : ₹50,000
- ₹45 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना : ₹4,50,000

कुल लागत : ₹5,00,000

- सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट की लागत : ₹6,00,000
- सोलर हाईमास्ट की लागत :
 ₹2,50,000
 कुल लागत : ₹8,50,000
- सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट की लागत : ₹6,00,000
- सोलर हाईमास्ट की लागत :
 ₹2,50,000
 कुल लागत : ₹8,50,000

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁴⁴ प्रदान करती है:
 - » आवासीय क्षेत्र में सौर स्थापना पर सब्सिडी: ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता सबसे बढ़कर एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » संस्थानों में रेस्को⁴⁵ मोड में स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से संयंत्र की लागत का 3 प्रतिशत परामर्श शुल्क के साथ सौर स्थापना का प्रावधान है।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगी और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता 20 प्रतिशत तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 kwp तक सीमित होगी और कुल 500 kwp से अधिक नहीं होगी।
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना⁴ के अंतर्गत की जा सकती है। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदान की जाती है:
 - » पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - » पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकारें प्रति पंप आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेंगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किश्तों में बैंक को किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
 - » घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत की सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौर ऊर्जाकरण; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।
 - » घटक सी-2 के अंतर्गत: मनरेगा की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁴⁷ :
 - » ईईएसएल अपनी लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देता है और सात साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव प्रदान करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वॉट एलईडी और तीन दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।

⁴⁴ https://invest.up.gov.in/wpcontent/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

⁴⁵ तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

⁴⁶ https://pmsuryaghar.gov.in/

⁴⁷ ईईएसएल द्वारा राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम

- ग्राम उजाला योजना⁴⁸:
 - » एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं
 - » ग्रामीण ग्राहकों को चालू तापदीप्त बल्बों के बदले में 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैक एंड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता दो योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है।
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को लागू कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी नामक एक योजना लागू कर रहा है।
 - » प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक से गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ बुनियादी ढांचा सुविधा के निर्माण के लिए 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर⁴⁹ देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमित देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुर्किंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम–जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों™ की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि में प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵¹ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत की:
 - » सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख प्रति टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - » 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क से छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपिशष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड प्रति 12,000 घन मीटर/दिन⁵² है

⁴⁸ ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी

⁴⁹ अर्थात फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

⁵⁰ https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926

⁵¹ https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/

⁵² https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067

वित्त के अन्य स्रोत

- सौर छत, सौर पंप आदि की खरीद के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ गठजोड़ का पता लगाएं
- कृषि फोटोवोलटिक्स के लिए सौर डेवेलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाएँ
- सीएसआर निधि का उपयोग किया जा सकता है:
 - » माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों द्वारा दिए गए रिवॉल्विंग फंड मॉडल के समान योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोवोल्टेइक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करने के लिए
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' प्रशिक्षण प्रदान करें।
 - » छत पर सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करें।

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ और मुद्दे

- सरवन तारा ग्राम पंचायत में कुल 200 पेट्रोलियम चितत आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; जिसमे से 195 दोपहिया वाहन, 3 जीप और 2 कारें हैं।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 3 ई-रिक्शा भी हैं।
- कृषि उपज/सामान के परिवहन के लिए किसानों द्वारा छोटा हाथी (मिनी ट्रक) या ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। जिन किसानों के पास ऐसे वाहन नहीं हैं वे इन्हें पडोसी किसानों से किराये पर लेते हैं।
- आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~182 kL डीजल और ~42 kL पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण 125.35 tCO2e से अधिक उत्सर्जन हुआ है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चला कि ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर कई सड़कें जल जमाव से प्रभावित हैं और उन्हें ऊंचा करने की आवश्यकता है

इसलिए, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में परिवर्तन शुरू करने की जरूत है।



🎮 मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बेहतर बनाना

चटण		2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1.	जलभराव को रोकने के लिए सड़कों को ऊंचा करना मौजूदा आंतरिक सड़कों के लिए मरम्मत कार्य	सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत	सड़क के बुनियादी ढांचे का निरंतर रखरखाव और आवश्यकता अनुसार

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
ਲਵਧ	 3.6⁵³ किलोमीटर सड़क का उच्चीकरण ग्राम पंचायत के अंदर या उससे जुड़ने वाली सड़कों पर सभी क्षित, गड्ढों और अन्य मुद्दों की मरम्मत करना 	सभी सड़कों की नियमित मरम्मत एवं रखरखाव	सभी सड़कों की नियमित मरम्मत एवं रखरखाव
अनुमानित लागत	सड़क उच्चीकरण: ₹1,30,00,000 कुल लागत: ₹1,30,00,000	आवश्यकता के अनुसार लागत	आवश्यकता के अनुसार लागत



🗐 मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन

चटण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 ग्राम पंचायत में घर-घर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ई-रिक्शा की खरीद। निम्नलिखित के बीच ई-रिक्शा को व्यावसायिक तौर पर किराये पर लेने (किराये के आधार पर) के लिए साझेदारी निर्माण और एक व्यवसाय मॉडल/प्रणाली स्थापित करना: ई-ऑटोरिक्शा किराए पर देने वाले व्यवसाय/ मालिक मजदूर वर्ग/युवा किराये पर ई-रिक्शा लेना 	कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त ई-रिक्शा की खरीद	जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ई- रिक्शा की खरीद

⁵³ विवरण के लिए एचआरवीसीए का संदर्भ लें

लक्ष्य	5 ई-ऑटोरिक्शा की खरीद	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत	 5 ई-ऑटोरिक्शा की लागत⁵⁴ [₹]15,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: [₹]12,000 तक प्रति वाहन प्रभावी लागत: ₹14,40,000 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर

चटण	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	 डीजल ट्रैक्टर और माल परिवहन वाहन के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/ उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना 	 ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में निवासियों को निरंतर जागरूक करना। मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का रखरखाव और मरम्मत 	 ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में विभिन्न समूहों को निरंतर जागरूक करना। मौजूदा ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर का रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक की खरीद	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद
अनुमानित लागत	 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000 5 ई-कमर्शियल वाहन: ₹25,00,000 – ₹50,00,000 कुल लागत: ₹55,00,000– ₹80,00,000 	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

⁵⁴ ई-ऑटोरिक्शा की कीमत जो कॉन्फ़िगरेशन, बैटरी प्रकार और अन्य पर निर्भर करती है, ₹1,50,000 - ₹4,00,000 के मूल्य बैंड के भीतर या अधिक हो सकती है । ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के समर्थन से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- यूपी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है।
 - » खरीदारों को 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान) ।
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को प्रारंभिक प्रोत्साहन⁵ के रूप में खरीद सब्सिडी (एक बार) ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5,000 तक एक्स-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर ईवी: पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत @ ₹12,000 प्रति वाहन तक।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण ॥ (फेम-इंडिया योजना चरण- ॥) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

अन्य स्रोत

- पंचायत का रिसोर्स एन्वलप और स्वयं के आय के स्रोत
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी

⁵⁵ सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में समय-समय पर बदलाव किया जाता रहता है और यह बदलाव सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों परिप्रेक्ष्य में होता है। इस कारण योजना के किसी भी अनुभाग में उल्लेखित कोई भी सब्सिडी केवल सांकेतिक है और सामान की खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत कृषि (42%) और पशुपालन (35%) में संलग्न है। बदलती जलवायु एवं अस्थिर उत्पादन प्रथाओं से प्रभावित दोनों क्षेत्रो में आजीविका में अनिश्चितता है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी तथा स्थानीय व्यवसाय/ दुकान आदि हैं। उपर्युक्त गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत में नकरियों के अवसर सीमित हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और रोजगार के लिए कई अवसर प्रदान करेंगे। इनके बारे में निम्नलिखित तालिका में विस्तारपूर्वक बताया गया है:



प्लास्टिक वैकल्पिक उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्लास्टिक-मुक्त विकल्प जैसे: बैग, टोपी और सजावट के सामान आदि के निर्माण में सम्मिलित करना
- 2. पंचायत, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों के बीच साझेदारी मॉडल स्थापित करना
- 3. क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री।

प्रारंभिक सहभागिता:

- 100 महिलाओं और स्थानीय लोगों की सहभागिता
- 10 एसएचजी को सम्मिलित करना
- ग्राम पंचायत में उगाए जाने वाले बांस जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- 200 महिलाओं की सहभागिता
- एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों को जोड़ना

अक्ष्य



जैविक कचरे से खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी स्थापित करना।
- 2. प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का क्षमता निर्माण:
- » कम्पोस्टिंग और वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक
- » ग्राम पंचायत में खाद का विपणन और बिक्री।

ಹಭಿದ

तात्कालिक लक्ष्य: घरेलू कचरे से उत्पन्न कम्पोस्ट /वर्मीकम्पोस्ट कचरा: 80.5 किग्रा/प्रति दिन; 2,415 किग्रा/ प्रति वर्ष

दीर्घकालिक लक्ष्य: जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर की किराये पर उपलब्धता हरित उद्यमिता के प्रोत्साहन के अवसर प्रस्तुत करती है।
- 2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना
- 3. युवाओं के लिए हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करने वाले ई-ट्रैक्टरों की (किराये पर उपलब्धता)।

तत्काल लक्ष्यः

- 1. २ या ३ ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹६ लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
- 2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

मध्यावधि लक्ष्यः

- 1. 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद
- (नोट: यह माना जाता है कि सरवन तारा में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत लगभग ₹6 लाख होती है)

अक्ष्य



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
- 2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिज़नेस मॉडल

5-10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जी की खेती के अंतर्गत ~3.6 हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र)

355

लागत: लगभग ₹8-₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- प्राकृतिक औषिधयों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सुजन
- 2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाएगा



नवीकरणीय उर्जा स्थापनाओं का संचालन एवं रख-रखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

- 1. सौर ऊर्जा के रख-रखाव के लिए समुदाय के सदस्यों, विशेषकर स्नातकों, युवा समूह, और किसान समूह का
- 2. सीएसआर तथा केंद्र और राज्य सरकार की कौशल उन्नयन योजनाएं जीपी के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किलिंग योजनाएं

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं
- मेक इन इंडिया, उद्यमी विकास कार्यक्रम जैसी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करके आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं। इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह ससंस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों. जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावनाहो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधियाँ "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण 56,57,58:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपिरक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाईट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- घरों में जल निकाय और डिज़ाइन किए गए पिरदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) करना चाहिए।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

⁵⁶ https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

⁵⁷ https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521

⁵⁸ https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁵⁹ का थार रेगिस्तान, राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़िकयों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमे प्रमुख रूप से निम्लिखित उपायो का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ्® :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जररूत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियॉस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र्व :

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियॉस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया ।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता सिमिति को सक्षम बनाया गया ।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

 $^{59\} https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects$

⁶⁰ https://peda.gov.in/solar-passive-complex

⁶¹ https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जररूत को पूरा करता हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की ज़रुरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{62,63}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरिक्षत करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते है

निर्मल गुजरात अभियान64

- गुजरात के हिम्मतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)^{65"} के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

⁶² https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system

⁶³ https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf

⁶⁴ https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/

⁶⁵ https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspscc

5. कूल रूफ/ठंडी छत्तें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया ।
- पारंपिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 5°C कम पाया गया ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)12-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन सम्पूरकों के उपयोग से आंत्रीय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁶⁷।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रॉक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में

- ऊर्ध्वाधरचारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

⁶⁶ https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities

⁶⁷ भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार (https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D)

⁶⁸ https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना ।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुद्रिड बनाएगी।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना⁶⁹

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी ।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी ख़रीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें ।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ्फिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁷⁰

स्वयं शिशान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

⁶⁹ https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/

⁷⁰ https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सिहष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁷¹

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है ।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में72

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है ।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

⁷¹ https://alliancebioversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india

⁷² https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf

अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁷³		
क. हरित आवरण में सुधार	 जलवायु संबंधी घटनाओं / आपदाओं से प्राकृतिक सुरक्षा सूक्ष्म जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ बेहतर मिट्टी स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)। पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि 	एसडीजी 11: सतत शहर और समुदाय		
ख. जन जैवविविधता रजिस्टर		 ● 商経 13.1 ● 商経 13.2 ● 商経 13.3 ♥ (本島) 15: भूम पर जीवन ● 商経 15.1 ● 商経 15.2 ● 商経 15.3 ● 商経 15.5 ● 商経 15.9 12 REPORSELE ONES NO PRODUCTION NO PRODUCTION ● 商経 15.9 		

जल निकायों का प्रबंधन तथा कायाकल्प और अपशिष्ट जल प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच)



ख. जल निकायों और मौजूदा बुनियादी ढाँचों का रखरखाव



ग. जल निकासी और बुनियादी सीवेज ढांचे मे सुधार



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है
- बेहतर भूजल पुनर्भरण
- पानी की गुणवत्ता में वृद्धि
- सूखा, लू आदि जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन
- कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार
- स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा

एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी ६: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.1
- लक्ष्य 6.4
- लक्ष्य 6.5

एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय

लक्ष्य 11.4

एसडीजी 12: टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

लक्ष्य 12.2

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

- लक्ष्य 15.1
- लक्ष्य 15.5













सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती



ख. प्राकृतिक खेती (पर्यावरण- अनुकूल प्रथाएँ)



ग. सतत पशुधन प्रबंधन



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- सूखे, गर्मी के प्रभाव, कीटों आदि से फसलों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इको-डीआरआर⁷⁴ दृष्टिकोण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा
- कृषि उत्पादकता और लाभ में वृद्धि
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार
- रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ
- शीत लहर और गर्मी के दौरान पशुधन की हानि में कमी और उत्पादकता में वृद्धि
- वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन में कमी

एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 2: शून्य भूख

- लक्ष्य 2.3
- लक्ष्य 2.4

·लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- **ल**क्ष्य 6.4
- लक्ष्य 13.1

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3







सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ क. अपशिष्ट प्रबंधन

अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया75

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



ख. जैविक अपशिष्ट

प्रबंधन

ग. एकल उपयोग

प्लास्टिक पर प्रतिबंध

- जलभराव कम हुआ
- जल और भूमि प्रदूषण में कमी/ स्वच्छता में सुधार
- 100 प्रतिशत अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण
- आजीविका और आय सृजन
- राजस्व और लाभ सृजन
- टिकाऊ कृषि के लिए उन्नत इनपुट

- .लक्ष्य 3.3
- ·लक्ष्य 3.9

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

- लक्ष्य 6.3
- लक्ष्य 6.8

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

लक्ष्य 8.3

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और

बुनियादी ढांचा लक्ष्य ९.१

एसडीजी 12: टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

- लक्ष्य १२.४
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य १३.१
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन

लक्ष्य 15.1















⁷⁵ प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों का विवरण अनुबंध ∨ में दिया गया है

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ क. सोलर रूफटॉप की स्थापना ख. सौर पंप ग. रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग

घ. कृषि-फोटोवोल्टिक संस्थापन



ङ. ऊर्जा दक्षता



च. सोलर स्ट्रीट लाइट



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- ऊर्जा सुरक्षा
- उष्ण से राहत
- उन्नत आजीविका विकल्प
- अतिरिक्त राजस्व सृजन
- उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है
- विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट
- पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ
- घरेलू वायु प्रदूषण में कमी
- विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
- ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को ख़त्म करता है
- आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि

एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता

■ लक्ष्य 6.4

एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा

- लक्ष्य 7.1
- लक्ष्य 7.2
- लक्ष्य 7.3
- लक्ष्य ७.ए
- लक्ष्य 7.बी

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा

लक्ष्य 9.1

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3



सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. मौजूदा बुनियादी सड़क ढांचे को बेहतर बनाना स्टें ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन	 स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
ग. ई-वाहन और	 कम जलभराव जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही • लक्ष्य 13.2 • लक्ष्य 13.3 11 SISTAMBEL OTIES AND GOOMUNITIES 9 ROLISTIY, NOVATION AND INFARSTRUCTURE
ई-ट्रैक्टर		13 CHATE LOCAL CONTROL CONTRO

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

क. प्लास्टिक-वैकल्पिक उत्पादों का निर्माण और बिक्री



ख. जैविक कचरे से खाद बनाकर उर्वरक के रूप में बिक्री



ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा



घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार



ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन



च. नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठाानों (सौर और बाायोगैस) का संचालन एवं रखरखाव



अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ

- जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी
- स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट
- 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजिनक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण
- अतिरिक्त राजस्व सृजन
- आजीविका के उन्नत विकल्प
- औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ
- कृषिवानिकी, प्राकृतिक
 औषिथों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन।
- जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि
- स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है
- वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि

एसडीजीएस और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया

एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़िकयों को सशक्त बनाना

लक्ष्य 5.5

एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास

• लक्ष्य 8.3

एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें

- लक्ष्य 12.2
- लक्ष्य 12.4
- लक्ष्य 12.5
- लक्ष्य 12.8

एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही

- लक्ष्य 13.1
- लक्ष्य 13.2
- लक्ष्य 13.3





आगे की राह

पिन्वयन पर प्रस्तावित सुझाव न केवल सरवन तारा के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा हासिल करने में भी मदद करेंगी, जिससे ग्राम पंचायत जलवायु को स्मार्ट, लचीला (रिजिलिएंट) और टिकाऊ बनाएगी। यह अपने निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और सतत विकास को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त ये सिफारिशें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। सरवन तारा के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट एक्शन प्लान ऊर्जा, कृषि लागत, पानी आदि पर खर्च में कमी जैसे विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसे 'आत्मिनर्भर' बनाएगा और यह आर्थिक विकास के नए रास्ते शुरू करेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना ॥, 2022 में परिकल्पना के अनुसार, सरवन तारा जलवायु कार्यवाही पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो परिपेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी (NDC), 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर अनुरूप समाधान की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त की उपलब्धता से ही सफल हो सकता है। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित चल रही गतिविधियों को एकीकृत करके और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर हासिल किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक पणधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्य योजना के कार्यान्वयन के बाद नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही सरवन तारा को एक मॉडल जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाना सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगी। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित जीवन (लाइफ) मिशन की तर्ज पर एक स्थायी जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व और व्यवहार परिवर्तन की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।

9

अनुलग्नक

अनुलग्नक ।: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य (यूपी) जलवायु विषय पर कार्य करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्व के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु संबंधी व्यापक कार्यवाही शुरू की है। ऐसी ही एक पहल 'जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायतों' के लिए कार्य योजना विकसित करना है। इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के 39 संवेदनशील जिलों⁷⁶ में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए तेजी से बहु-मानदंड मूल्यांकन किया गया। चयनित ग्राम पंचायतों की घोषणा की गई और इनमें से कई को दिनांक 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) के दौरान सम्मानित किया गया।

सरवन तारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना" पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंट एक्शन ग्रुप के सहयोग से विकसित किया गया है। कार्य योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु कार्यवाही को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अनुकूलित खाका प्रदान करना है। इसके परिणामस्वरूप न केवल जलवायु लचीलापन बनाने के लिए स्थानीयकृत जलवायु पहल को मजबूत किया जाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ बनने के लक्ष्य के साथ उत्सर्जन को भी कम किया जाएगा।

इस कार्य योजना को विकसित करने में अपनाया गया सहभागी दृष्टिकोण बॉटम-अप योजना की अवधारणा की पुष्टि करता है। इस कार्य योजना में प्रदान की गई प्रमुख सिफारिशों को व्यक्तिगत प्रायोगिक परियोजनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है जिन्हें सीएसआर फंड, मौजूदा राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रम, अभिनव सार्वजिनक-निजी भागीदारी, कार्बन वित्त और निजी निवेश जैसे कई वित्तपोषण विकल्पों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए कार्य योजना में पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) बनाने और इस कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

 सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की

⁷⁶ यूपी के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान यूपी के जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना 2.0 और डीओईएफसीसी, यूपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना के लिए स्कोपिंग आकलन से की गई थी।

⁷⁷ इस दस्तावेज़ में मुख्य जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना सम्मिलित है और इसमें अनुलग्नक के रूप में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; भरी हुई प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों से परामर्श और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सिचवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में हितधारकों को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्य और पहलुओं, कार्ययोजना के विकास की प्रक्रिया और इसमें उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाई जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और केन्द्रिय समूह परिचर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था।
- क्षेत्र सर्वेक्षणः समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभाओं और केन्द्रित समूह चर्चाओं का आयोजन किया
 गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक आंकडों को एकत्र किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए ख़तरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) (HRVCA) भी किया गया।
 - » ग्राम पंचायत सरवन तारा की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए केन्द्रित समूह चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया।
 इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गितविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गईं पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचिलत कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सिचव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और अतिरिक्त आवश्यक जानकारी की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को पूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त जानकारी को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक ॥: प्रश्नावली









उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायतः सरवन तारा विकासखण्डः इकौना जनपदः श्रावस्ती

गाँव की रुपरेखा

		विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत– समुदाय के सदस्य)
	1	राजस्व गाँव की संख्या	1
	2	टोलों की संख्या	5
	а	कुल जनसंख्या	1735
	b	कुल पुरुषों की जनसंख्या	925
3	С	कुल महिलाओं की जनसंख्या	810
3	d	विकलांगजन की जनसंख्या	8
	е	कुल बच्चों की जनसंख्या	425
	f	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	205
4		कुल परिवार की संख्या	309
	а	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले	16
		परिवार की संख्या	
5		कुल भोगौलिक क्षेत्रफल	150 Hect.
6	а	साक्षरता दर	78%
7	а	पक्का घरों की संख्या	213
	b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	96 (50 फूस वाले घर एवं 46 दीवार मिट्टी, ईंट की छत टीन या एस्बेस्ट्स)











II. सामाजिक आर्थिक

1	3	ग्राम पंचायत में केवर परिवार	ल कृषि (प्रकार) पर आश्रित		कुल परिवारों की संख्या		
		निजी भूमि/स्वयं की	भूमि	300			
		किराए की भूमि (हुण	डा)	50			
		अनुबंध खेती		Nil			
		दिहाड़ी मजदूर		250			
		अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)					
				45 (ਗੁਝ ਵੈ)	लोग बाहर आजीविव	हा हेतु रहते है तो खेत बटाई पर देते	
٩	9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत			कुल परिव	गरों की संख्या	
		सेवा क्षेत्र (उदाहरणः अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी		10			
		आदि) कुटीर उद्योग		10			
		कृषि		Nil			
			210				
	कला / हस्तकला		Nil				
-	पशुपालन		250				
		व्यवसाय (स्थानीय दुकान)		15			
		व्यवसाय / उद्यम	_ ()	Nil			
		दैनिक / दिहाड़ी मज	दूर (अकृषिगत)	125			
		अन्य		10 (सिलाई का कार्य)			
1	0	पलायन	6).	<u> </u>	हां	नहीं	
	а	क्या पिछले पाच वर्षे पलायन किया है?	िमें आप के ग्राम पंचायत से ग्रा	भीणों ने	✓□		
	b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन कर परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	ने वाले		पलायन के मुख्य कारण	
		अन्य गांव	Nil				
		निकट के शहर	७० व्यक्ति			आजीविका हेतु	
		राज्य के प्रमुख शहर	Nil				
		देश के प्रमुख महानगर	100 व्यक्ति			आजीविका हेतु	
		क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में			हां	नहीं	
	С	परिवार / व्यक्ति ने प्र				√ □	
	d	पिछले पांच वर्षों में	Nil				











आपके ग्राम पंचायत
में कितने परिवार
प्रवास किए हैं?
मुख्य कारण स्पष्ट
करें।

Nil

11	महिलाओं की स्थिति	
а	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत— महिला)	12
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि / स्वयं की भूमि	10
	किराए की भूमि / हुण्डा	Nil
	अनुबंध खेती	Nil
	दिहाड़ी मजदूर	50
	अन्य व्यवस्था	Nil
	अन्य सूचनाएं / जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	खेती के कार्य में धान की रोपाई, निराई एवं गुड़ाई आदि का कार्य अधिकांश महिलाएं करती है।
С	नौकरी / अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरणः अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	4
	कुटीर उद्योग	Nil
	कृषि	10
	कला / हस्तकला	Nil
	पशुपालन	50
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	3
	दैनिक / दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	10
	अन्य	9 सिलाई आदि का काम











12	स्वयं सहायता समूहों				
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1.	पूजा	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / —	हां
2.	सावित्री	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां
3.	चमेली	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / —	हां
4.	सीता	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां
5.	रानी	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां
6.	मॉ गायत्री	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां
7	तुलसी	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां
8.	चॉद देवी	10	कोई गतिविधि नहीं अपनाई गई है।	4800 / -	हां

13	कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
		संगठन की प्रमुख		एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां / गतिविधियों का क्षेत्र	
	Nil						
	Nil						
	Nil						
	Nil						

14	अन्य समुदाय आधारित संगठन/		नहीं है			
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	Nil					
	Nil					











Nil			
Nil			

15	योजनाएं					
а	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रू0)	अन्य कोई बकाया (रू0)	की गई गतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	125	100	Rs. 1,06,500/-	-	सड़क पाटने का कार्य, प्रधानमंत्री आवास, तालाब की सफाई ।
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	213	213	Nil		चावल, चना, दाल,
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	200	200	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	Nil				
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	1	1	सोलर पैनल	-	सिंचाई
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	Nil				
	ऊर्जा दक्षता योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	42	42	5040,000/-		लाभार्थियों का आवास बना है।
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०)	213	213	Nil		प्रत्येक माह 5—35 किलों खाद्यान्न मिलता है।
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	Nil				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	20	20			20 युवकों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण मिला है।











राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	Nil			
मौसम आधारित फसल बीमा	Nil			
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	Nil			
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	Nil			
किसान क्रेडिट कार्ड	200			कोई लाभ नहीं मिला है। कार्ड बना है।
स्वच्छ भारत मिशन	237	237	2844,000/-	लाभार्थी के घर शौचालय बना है।
सौर सिंचाई पम्प योजना	1	1		लाभार्थी को सोलर पैनल, पाइप एवं मोटर मिला है।
नई / नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	Nil			
विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil			
गोवर्धन योजना	Nil			
जल पुनर्भरण योजना	Nil			
रेनवाटर हार्वेस्टिंग	1	1		प्राथमिक विद्यालय पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है।
समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	Nil			
अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	Nil			
अन्य (एक जिला–एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	Nil			
उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	10	10		जल निगम विभाग से 10 युवाओं को मिस्त्री, ऑपरेटर, मैकेनिक, प्लम्बर आदि कार्य का प्रशिक्षण मिला है।

16	सक्रिय बैंक खाता धारकों की संख्या	850
	ई—बैंकिंग / डिजीटल भुगतान एप / यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	20











18	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम द्वारा बाजा केन्द्र का र होता है	र / क्य उपयोग	यदि नहीं, तो बाजार / केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	फसल (कृ0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	बहराईच मण्डी	✓□			गेंहू 1500	800	27 किमी
	बहराईच मण्डी	✓□			धान 3500	1500	27 किमी
	बहराईच मण्डी	✓□			मसूर 50	40	27 किमी
	Nil						

19		शिक्षा (केवल	न ग्राम पं	चायत में)		
		स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	विद्यार्थियों की	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता—(2), आर्थिक समस्या—(3), अन्य— (4) उल्लेख करें)
	а	प्राथमिक विद्यालय	46.45	123	0	40 प्रतिशत बच्चें मानसून के माह में जलजमाव के दौरान एवं कृषि कार्यों में व्यस्त होने के कारण विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं।
			40.43	123		organization text ex
	b	जू० हाई स्कूल	Nil			
	С	नार्व गुरून				
	C	हाई स्कूल	Nil			











d	अन्य संस्थान	Nil		

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	Nil			

2	21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता				
		राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	.	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)	
		राष्ट्रीय राज मार्ग 730	2	1 किलोमीटर	2	

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

2	2	वन भूमि का विवरण	
	а	वन का क्षेत्र	1 एकड़ नहर के पास
	b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	1 एकड़ नहर के पास
	С	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil











d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	Nil
	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन / वन कटाई की गतिविधियां	Nil
	अनुमानित वन उन्मूलन / वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	Nil

2	:3	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
	а	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	11 (एकड़)		
	b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	8 (एकड़)		
	С	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां	नहीं	आच्छादित क्षेत्रफल
				✓□	
		खनन के प्रकार	Nil		
		बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3			
		अतिरिक्त सूचनाएं	Nil		

2	4	जल निकाय क्षेत्र		
		विवरण	हां	नहीं
		क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	✓□	
	b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	7	
	С	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?		√ □
	d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	Nil	
	е	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	नहीं	

25	5	जल आपूर्ति	
	а	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?	
		नहर (1)	
		वर्षा जल—(2)	(3)
		भूमिगत जल—(3)	अन्य (5) हैण्डपम्प









	तालाब / झील—(4)	
	अन्य– (5)	
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
С	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है?	
	पाइप जलापूर्ति (1)	
	ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2)	
	पानी टंकी (3)	
	महिलाओं / बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4)	
	हैण्डपम्प (5)	(-)
	ऊँचा सतही जलाशय (6)	(5)
	कूंआ (7)	अन्य (8), जल निगम द्वारा सौर उर्जा से संचालित जलआपूर्ति व्यवस्था करके पानी की टंकी बनाई गई है।
	अन्य (8), उल्लेखित करें।	जिससे 10 घरों को पानी उपलब्ध होता है।
	अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	10 (सर्वेक्षण के समय जलापूर्ति बंद है किन्तु पाइप लाइन है)
е	क्या पानी का बहाव / प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक (सर्वेक्षण के समय जलापूर्ति बंद है किन्तु लोगों ने बताया कि जब पानी आता था तब पानी का प्रवाह संतोषजनक था।)
f	पइप जलापूर्ति की नियमितता	
	24× 7 ਬਾਟੇ (1)	(1)
	काफी नियमित (2)	(सर्वेक्षण के समय संयत्र खराब होने से जलापूर्ति बंद है
	अनियमित (3)	किन्तु लोगों ने बताया कि जब पानी आता था तक पूरे समय आता था।)
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है?	
	नहर (1)	
	वर्षा जल (2)	
	भूमिगत जल — (नलकूप (3 A), कूआ (3 B)	नहर (1)
	तालाब / झील (4)	
	पानी टैंक (5)	वर्षा जल (2)
	नदी (6)	(नलकूप (3 A)
	अन्य (7)	अन्य (7) व्यक्तिगत बोरिंग
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या	नहर, नलकूप एवं व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग फसल की









	बारहमासी है?	आवश्यकतानुसार एवं वर्षाजल मौसमी है।
ï	क्या जलापूर्ति का बहाव / प्रवाह दर कम / अधिक या संतोषजनक है?	प्रवाह दर संतोषजनक
	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू, कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त हैं) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी / घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता हैं?	पर्याप्त है मई–जून में नहर सूख जाता है।









IV. <u>जलवायु की धारणा</u>

	तापमान व र	वर्षा में प्रमुख परिवर्तन /			
26	Sill in the	111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13311		
а	गर्मी के माह में देखा गया				
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	_	✓ 🗆			
C	दिनों की संख्या	15-20 दिन			
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	पहले गर्मी में तीव्रता व होती है।	कम थी, अब मई से उ	अगस्त तक भीषण गर्मी	
27					
а	सर्दी के माह में महसूस किया गया				
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
			<u> </u>		
	दिनों की संख्या	40 777	लगभग ४५ दिन	<u> </u>	
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	10 साल पहले नवम्बर से मार्च तक सर्दी होती थी, दीपावली से होली तक ठंड माना जाता था किन्तु अब दिसम्बर से 15—20 फरवरी तक ठंड होती है।			
28					
а	मानसून माह में महसूस किया गया				
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	दिनों की संख्या		20-25		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	पहले 4 माह का बरस पानी बरसता है, 2–3 15–20 दिन तक बरस की मात्रा बढ़ गई है।	। ात का मौसम होता १ दिन बरस कर फिर	रूक जाता है। अब	
29					
а	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
	\(\lambda \times \lambda \tau \cdot \cdot \lambda \tau \cdot		V □		
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
			✓ □		
(. ,		20-25		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं	
		✓□			









f अन्य सूचनाए / जानकारी 2022 जनवरी — फरवरी में सामान्य से अधिक बर्षा हुई थी।









	चरम मौसम की घटनाएं						
3	0	सूखा					
	а	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022) У □	द्वितीय वर्ष (2021) ४ □	तृतीय वर्ष (2020) ४ □	चतुर्थ वर्ष (2019) ∨ □	पंचम वर्ष (2018) У □
	b	किस माह में सूखा देखा गया		 जून–जुलाई	<u></u> जून–जुलाई		
	C	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर			कृषि स्तर पर प्र कुछ लोग धान में करते है और 70–80 एकड़ भ अतिरिक्त सिंचा पड़ती है।	व्यवन्धन की बोवाई देर लगभग तूमि में
	d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		घटना (14छल पाच पषा म)	√ □		नहा		
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख			I		
		घटना–1, स्वास्थ्य पर प्रभाव–2	अब लगभग	प्रत्यक वष जून	I—जुलाइ म सू _र	खा हो जाता है।	
3:	1	बाढ़					
		बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022) У □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020) ४ □	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □
	b	किस माह में बाढ़ देखा गया	अक्टूबर		जुलाई (धान रोपाई के पहले ही बाढ़ आ गई)		
	C	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	1. बच्चों 2. स्कूल करना 3. जानव	लू स्तर पर प्रब को पानी में ज के भवन में नि रों को उंचे स्थ को उंचे स्थान	नाने से रोकना वास करना गन पर बाधना	कृषि स्तर नहीं क	पर प्रबन्धन
	d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)		कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		20 11 0		✓ □	` □	0 3	
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना–1, स्वास्थ्य पर प्रभाव–2	1984—85 में नहर बन जाने के बाद बाढ़ कम आती है। जवर्ष होता है। किन्तु विगत 2022 में बाढ़ आई थी।			लजमाव प्रत्येक	
3	2	भूस्खलन					
	а	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		नहीं					
	b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					









	С	भूस्खलन का प्रबन्धन केंसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर	: प्रबन्धन		कृषि स्तर पर प्र	प्रबन्धन
	d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
	е	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना—1, स्वास्थ्य पर प्रभाव—2					
3	3	ओलावृष्टि					
	а	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022) □	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018) □
-	b	किस माह में ओलावृष्टि हुई					
		ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर	। : प्रबन्धन		कृषि स्तर पर प्र	। प्रबन्धन
	d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं	2017 में ओलावृष्टि हुई थी जिसमें पशुओं को एवं फसल नुकसान हुआ था।	
	34	फसलों के कीट/बीमारी					
	а	कीट / बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	ľ		✓□	√ □	V □	v 🗆	√ □
		किस माह में कीट / बीमारी को देखा गया?	में	में	बांदा — धान में अगस्त—सितम् बर माह में माहो — सरसों में जनवरी फरवरी माह में थ्रिप्स — प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च माह में	बांदा — धान में अगस्त—सितम्ब र माह में माहो — सरसों में जनवरी फरवरी माह में थ्रिप्स — प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च मार्च मार्च मार्ह में	बांदा — धान में अगस्त—सितम् बर माह में माहो — सरसों में जनवरी फरवरी माह में थ्रिप्स — प्याज, बैंगन, मिर्च में फरवरी मार्च माह में









b	किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?	गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में जनवरी फरवरी माह में। बांदा (लीफ ब्लाइट), माहो, श्रिप्स, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं	धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह में। बांदा (लीफ ब्लाइट), माहो, थ्रिप्स, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं	गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में जनवरी फरवरी माह में। बांदा (लीफ ब्लाइट), माहो, श्रिप्स, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाण्यानित	गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह में । बांदा (लीफ ब्लाइट), माहो, श्रिप्स, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित एवं	गंधी कीट — धान में सितम्बर अक्टूबर माह में गेरूई (रस्ट)— गेंहू में फरवरी मार्च में झुलसा — आलू, टमाटर में जनवरी फरवरी माह में । बांदा (लीफ ब्लाइट), माहो, श्रिप्स, गंधी कीट, गेरूई (रस्ट), झुलसा, सब्जी में फलछेदक एवं विषाणुजनित
			विषाणुजनित एवं फंफूदजनित रोग	विषाणुजनित एवं फंफूदजनित रोग	_	विषाणुजनित एवं फंफूदजनित रोग
С	कीट / बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	किसान स्वयं हैं।	दुकान से खरी	दकर कीटनाशव	म आदि का छि	ड़काव करते
d	बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
	वर्षों में)	✓ □				
	अतिरिक्त जानकारी / सूचनाएं	Nil				

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी						
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा विया ग्रामीणों तक इसकी प्रबन्धन / तैयारी के उपाय उपलब्ध पहुँच / उपलब्धता है? हैं?					
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं		
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना		√ □		√ □		
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति		√ □		✓□		











पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली	↓ □		✓□ 50 प्रतिशत किसानों को कृषि संबंधित सूचना / चेतावनी मिलती है।	
आपातकाल अनाज बैंक		√ □		√ □
अन्य		√ □		√ □

3	6	अनाज भण्डारण					
	а	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?					
		अनाज (विवरण दें)	Nil				
		तेल	Nil				
		चीनी	Nil				
		अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	Nil				
	b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	Nil				

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, जानकारी के स्रोत	पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध
	स्थानीय कृषि अधिकारी	✓ □
	समाचार पत्र / समाचार / रेडियो	✓ □
	मोबाईल फोन/एप	✓ □
	मौखिक	√ □
	कृषि विज्ञान केन्द्र / कृषि ज्ञान केन्द्र	√ □
	पशुपालन विभाग	√ □
	उद्यान विभाग	Nil
	अन्य	Nil

		कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)					
38	फसल हानि	न्सल हानि					
а	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु / मौसम	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम,	अनुमानित हानि की	परिणाम स्वरुप आय	











		खरीफ (1)		घटनाक्रम–	मात्रा	में हानि
		रबी (2)		गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	(कुन्तल)	(औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	जायद / अन्य ऋतु (3) (1)	धान	रोग, वर्षा,	720	1080,000/-
		(1)	વામ	राग, पपा,	720	1080,000/-
		(2)	गेंहू	असमय बरसात एवं गर्म हवाएं	1120	2352,000/-
		(2)	सरसों	असमय बरसात एवं गर्म हवाएं	45	225000/-
	द्वितीय वर्ष (2021)	(2)	सरसों	ठण्ड शीतलहर पाला,	15	75000/-
	तृतीय वर्ष (2020)	(1)	धान	रोग, वर्षा,	720	1080,000/-
	चतुर्थ वर्ष (२०१९)	(1)	धान	रोग, वर्षा	500	675000/-
	पंचवां वर्ष (2018)	(1)	धान	रोग, वर्षा	500	675000/-
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		√ □				
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	केवल 10 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त किसान फसल बीमा के बारे में जानते है। किन्तु फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है।				











3	9	फसल पद्धति में बद	लाव			
	а	सामान्य फसल	खरीफ धान अरहर	रबी गेंहू, मसूर चना गन्ना सरसों	जायद / अन्य ऋ सब्ज़ी मक्का	<u>ध्</u> तु
	b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है / देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
		धान	मई का अंतिम सप्ताह से जून के तीसरे सप्ताह तक	जून— जुलाई	जुलाई के अंतिम सप्ताह	वर्षा न होने के कारण
		गेंहू	अक्टूबर	न यम्बर	नवम्बर दिसम्बर	ठंड का देर से होना, इस वर्ष अक्टूबर में पानी बरसने से निचले स्थानों में दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में हुई है।
		सरसों	अक्टूबर	अक्टूबर	अक्टूबर का प्रथम सप्ताह	पायनियर45—4 6, शिवानी एवं गोल्डी प्रजाति सरसों की होने से पाला का प्रकोप कम होता है।
		अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज – कोदो	आदि ।		











4	0	सिंचाई प्रणाली/पद्धति	ा में परिवर्तन				
		फसल का नाम		वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	की मात्रा (गेग किए गए पानी रुपया ∕ एकड़)
	а	धान	नहर (3), वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं।)	2500	सेट ['] , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते है।)	1250	
		गेंहू	नहर (3), वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं।)	1100	वर्षा आधारित (4), (6) ट्यूब वेल / पम्पिंग सेट , फ्लडेड सिंचाई (खेत में पानी भरकर सिंचाई करते हैं।)	715	
	b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित Nil	सौर पम्प	वर्षा	सिंचाई विधियां Nil
	С	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	25 साल पूर्व तालाब,			आधारित वाई हेतु कर	
4	41 पशु पालन / पशुधन						
	а	ग्राम पंचायत में प्रचलित	न पशुधन और				









	पशुपालन सम्बन्धित गां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य– स्पष्ट करें (6)	तेविधियां				
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्घि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	20	सर्रा रोग शीतलहर	बरसात सर्दी	(2)
	द्धितीय वर्ष (2021)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	3	सर्रा रोग शीतलहर	बरसात सर्दी	(2)
	तृतीय वर्ष (2020)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	3	सर्रा रोग शीतलहर	बरसात सर्दी	(2)
	चतुर्थ वर्ष (2019)	(1), (2) अन्य (3) बकरी	2	सर्रा रोग शीतलहर	बरसात सर्दी	(2)
	पंचम वर्ष (2018))	(1), (2) अन्य (3) बकरी	2 25	सर्रा रोग शीतलहर	बरसात सर्दी	(2)
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
С	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	Nil				()
	द्धितीय वर्ष (2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
	चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				









_							
		पंचम वर्ष (2018))	Nil				
		अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
	d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	(कपया निर्दिष्ट करें	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
		प्रथम वर्ष (2022)	Nil				
		द्धितीय वर्ष (2021)	Nil				
		तृतीय वर्ष (2020)	Nil				
		चतुर्थ वर्ष (2019)	Nil				
		पंचम वर्ष (2018)	Nil				
		अन्य जानकारी / सूचनाए	Nil				



कृषि व पशुपालन

>















San Andrews



43	43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां	ग्रेधियां			
	फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (रू०/कुन्तल)	बिकी हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित/सत्यापित
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			
	Nil	Nil			







	. ~					
	परिवर्तन के कारण– लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)– उल्लेख करें	(2)				
	पिछले 10 वर्षों में पहुंच⁄अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	(2)				
	कृषि वानिकी पि गतिविधियों के प लाभ तक लोगों प की पहुंच/ व अवसर व	व्यक्तिगत लाभ फल एवं जलौनी				
	सफलता (प्रतिशत)	08				
	आरम्भ दिनांक	15—20 वर्ष पूर्व				
भया	प्रोपित प्रजातियां	सागौन, पापुलर यूकेलिस्टस आम, अमरूद, महुआ, शीशम, बरगद, पीपल				
अन्य वृक्षारापण गांतावाधया	प्ट्रीय मोनोक्लचर रोपित न (1), (1), मिश्रित प्रजातिय प्रबन्धन प्रजाति (2) कार्यक्रम दोलन	(1)				
45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्ष	पौध रोपण आच्छादित स्थान योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय गतिविधियों क्षेत्रफल कृषि वानिकी मिशन (1), (के प्रकार वाटरशेड प्रबन्धन प्रकार कार्यकम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यकम (3), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यकम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)— उल्लेख करें	(1) (4)				
वानिका,	स्थान	सड़क के किनारे एवं तालाब के				
, सामााजक	आच्छादिर सेत्रफल	35 एकड़				
कृषि वाानका	पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	कृषि वानिकी, वानिकी	Nil	Nil	Nil	Nil
45						









46	अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक								
	पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन (रू0) (प्रतिमाह / बेचते समय)					
	गाय (देशी नस्ल)	20	पशुआहार, पोषण पूरक आहार, खुले में चराई	3600 / — प्रतिमाह					
	गाय (संकर नस्ल)	200	पशुआहार एवं पोषण पूरक आहार	5000 / — प्रतिमाह					
	भैंस (देशी नस्ल)	100	पशुआहार, पोषण पूरक आहार, खुले में चराई	5400 / — प्रतिमाह					
	भैंस (संकर नस्ल)	10	पशुआहार एवं पोषण पूरक आहार	8100 / — प्रतिमाह					
	बकरी	110	पशुआहार, खुले में चराई	4500 / — बेचते समय					
	सुअर	nil							
	मुर्गी	nil							
	मत्स्य	भुतहा ताल में	_	अभी कुछ नहीं हैं।					
	अन्य	nil							

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47	जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)								
а	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त						
		✓							
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य					
				✓□					
	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या है?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू / कीचड़	गन्ध	जलजमाव के दौरान निजी हैण्डपम्प से मटमैला पानी आता है		
d	जल को शुद्व करने के लिए आप किस	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)		











विधि का प्रयोग करते हैं?		मिलाकर		
				जल को शुद्व करने हेतु कुछ नहीं करते हैं।

4	8	ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्र	बन्धन					
	а	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ / कचरा	सब्जी का छिलका, चूल्हे की राख, सूखा कचरा					
	b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ / कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं होता हैं					
	С	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	□प्रतिदिन	□ साप्ताहिक	🗆 वैकल्पि	क दिन		
			√ हां	नहीं	ग्राम पंचायत में कचरा पृथ्थकीव बनाया गया है वर्तमान में क्रिय है। व्यवहारिक रूप सड़क एवं ताल आसपास डाला	करण केन्द्र । जो ग्राशील नहीं से कचरा ग्राब के		
	đ	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	√ □		ग्राम पंचायत से दूरी / ग्राम पंचा अवस्थिति		पंचायत भवन से आधा किमी	
	e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?		√ □				
	f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?		√ □				
	ф	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुन:चक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
				√ □			✓□	नहीं करते

49	खुले	में	शौच	मुक्त	स्थिति
----	------	-----	-----	-------	--------









а	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	√ 🗆 हां	□ नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	309		
С	सामुदायिक शौचालय / इज्जत घर की संख्या	1		प्रमुख स्थान कूड़ा पृथ्थकीकरण केन्द्र के पास
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?			हां
е	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ–सफाई का अभाव, रख–रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)			

5	0	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
	а	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	√ □				
	b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	100 L प्रतिघर				
	С	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो–	नहीं				
	d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई हैं तो—	नहीं				

51		स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा							
		स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)				
	а	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		✓□					
	b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		√ □					
	C	उपस्वास्थ्य केन्द्र		√ □					
	d	आंगनवाड़ी		✓□					
	е	आशा	√ □						
	f	स्वाथ्य कैम्प/मेला		✓□					
	g	डिजीटल स्वास्थ्य देखभाल	✓□						











52	रोग / बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत्	प्रभावित	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
	बीमारी / रोग से कितने लोग प्रभावित हुंए हैं?	कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	सुविधाएं	घरेलू देखभाल	घर—घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
а	वेक्टर—जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	200	50	105	45	(उल्लेख करें) nil			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना, प्राइवेट डाक्टर, गिलौला
b	जल–जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाईफाई ड / हैपेटाइटिस आदि)	500	250	145	105	nil			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना, प्राइवेट डाक्टर, गिलौला
С	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	50	30	5	15	nil			
d	कुपोषण	2	2			आशा	✓□		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इकौना,

VII. <u>उर्जा</u>

53						
	а	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	289			
	b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या				
		ए०सी०	0			
		एयर कुलर	10			
		रेफिजेटर / फ्रीज	12			

5	4	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
	а	दिन में कुछ बार	√ □
		दिन में एक बार	











	विद्युत कटौती नही	
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	8-12
		nil (प्रतिदिन 8–10 घण्टे बिजली गुल होती है अर्थात सप्ताह में कुल 50–60 घण्टे बिजली गुल होती है।

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार—चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?							
	दिन में कुछ बार	√ □						
	दिन में एक बार							
	अस्थिरता / उतार–चढ़ाव नहीं							

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	1
	सौर उर्जा	10
	इमरजेंसी लाईट	105
	इन्टवटर्स	5
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	

57	,	नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा के स्रोत								
	а	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)						
		घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil						
		विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil						
		चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil						
		ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil						
		अन्य सौर उर्जा स्थापना	Nil	Nil						
		सौर स्ट्रीट लाईट	10	50 ਗੱਟ						
		बायोगैस	Nil	Nil						
		विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	Nil	Nil						











क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध Nil Nil अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं / कार्यक्रमों का उल्लेख करें)

58	भोजन बनाने हेतु प्रयु	क्त ईधन	परिव	गरों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)		
	पारम्परिक जलौनी (उपले / लकड़ी)	जलौनी	270		60		
	बायोगैस		0				
	एलपीजी गैस	200		10-12			
	विद्युत	Nil		Nil			
	सौर उर्जा	Nil		Nil			
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)		Nil		Nil		
59	वाहन की संख्या						
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत संख्या (अ		प्रयुक्त ईधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)		
а	जीप / बोलेरो	2		डीजल	20 किमी / प्रतिदिन		
b	कार	3		पेट्रोल	40 किमी / प्रतिदिन (महीने में 5—7 दिन चलती है)		
С	दो पहिया वाहन	195		पेट्रोल	25—30 किमी / प्रतिदिन		
d	विद्युत चालित वाहन	1 मोटर साई	केल	विद्युत बैटरी	30 किमी / प्रतिदिन		
е	आटो	Nill					
f	ई—रिक्शा	3		विद्युत बैटरी	20 किमी / प्रतिदिन		
g	अन्य ट्रक	1 बैलगाड़ी		_	आवश्यकतानुसार भूसा —गल्ला को बाजार ले आने—जाने हेतु।		

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि	प्रयुक्त ईधन के	तय की गई औसत दूरी (किमी
	·	यंत्रों / मशीनों की संख्या	प्रकार	प्रतिदिन)











			डीजल	10 किमी / प्रतिदिन
а	टैक्ट्रर			
	^			नोट : केवल जुताई — बुवाई एवं
		17		घरेलू प्रयोग हेतु
b	कम्बाईन हारवेस्टर	Nil	Nil	Nil
			डीजल	20 किमी / प्रतिदिन (कटाई के समय)
			OFFICE	
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			नोट : 1 एकड़ 1 दिन में फसल
		1 रीपर		कटाई हेत्
		1 3113		ग वार वर्ष

L													
	61	1	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
इंधन प्रतिदिन की बिकी पम्प से कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन के आपूर्ति वाले हैं? (समय/ अविध का उल्लेख करें)										लेते			
			प्रकार		गांव की संख्या	टैक्ट्रर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई—रिक्शा	अन्य
		а	Nil							4101			
		b	Nil										

62	औद्योगिक इकाई		
	उद्योग के प्रकार	विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2),	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Nil		



अनुलग्नक ॥।: एचआरवीसीए रिपोर्ट

2023-24



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

ग्राम पंचायत - सरवन तारा

विकासखण्ड – इकौना

जनपद – श्रावस्ती

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विष्लेषण

जलवायु परिवर्तनशीलता - प्रवृत्ति / परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां / झटके एवं तनाव

समुदाय के साथ खुली बैठक में चर्चा से यह निकल कर आया कि ग्राम पंचायत सरवन तारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 30 वर्ष पूर्व यहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी और कुछ दिनों बाद पानी गांव से बाहर निकल जाता था, गांव के उत्तर दिशा में सन् 1985 में नहर बनने के बाद बाढ़ कम आती है, केवल जलजमाव की समस्या प्रत्येक वर्ष होती है। ग्राम पंचायत में सभी मौसम, अर्थात सर्दी, गर्मी एवं बरसात का प्रभाव रहता है। 15—20 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर से फरवरी तक होती थी। इसके साथ ही समुदाय में उपस्थित बुजुर्ग लोगों ने बताया कि पहले सर्दी दीपावली से होली तक होती थी अर्थात अक्टूबर माह से मार्च तक पड़ती थी किन्तु अब सर्दी केवल ढाई माह की होती है। दिसम्बर एवं जनवरी में सर्दी होती है, फरवरी में कम सर्दी होती है। पहले बरसात का मौसम जून माह से अगस्त माह तक होता था, किन्तु अब जुलाई के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक बरसात का मौसम बनता है और इन महीनों में अचानक भारी बारिश हो जाती है। विगत 4—5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जून—जुलाई में लगभग सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। खेती—किसानी करने वाले लोगों के साथ हुई चर्चा से निकल कर आया कि अब धान की फसल में मौसम में परिवर्तन के कारण बहुत नुकसान हो रहा है, रोपाई तक वर्षा न होने से सिचाई में लागत बढ़ रही है अथवा देर से रोपाई करते हैं फिर अचानक वर्षा होने से जलजमाव की स्थिति बनने से फसल खराब होती है। लोगों ने बताया कि पहले गर्मी मई—जून में होती थी। किन्तु अब गर्मी मार्च से सितम्बर तक रहती है।

सहभागी पीआरए विधियों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रक्रिया एवं टूल्स के माध्यम से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। आपदा—खतरा जोखिम प्रोफाइल से संबंधित सूचनांए निम्नवार वार हैं —

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथिमीकीकरण

ग्राम पंचायत सरवन तारा को प्रभावित करने वाली आपदाओं के संबंध में समुदाय के साथ विस्तृतरूप से चर्चा व विचार—विमर्श किया गया। दैनिक दिनचर्या, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफसफाई आदि को प्रभावित करने वाली आपदाओं की एक सूची तैयार की गई। इस सूची में सम्मिलित आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक रैंकिंग करते हुए आपदाओं का प्राथिमीकरण किया गया। इस गांव की मुख्य आपदा जलजमाव है। इससे आवागमन, घर, खेत, घारी, आजीविका, स्वास्थ्य एवं पेयजल, साफ—सफाई आदि में जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस ग्राम पंचायत की मुख्य आजीविका कृषि एवं पशुपालन को बाढ, ओलावृष्टि, आंधी—तूफान एवं सूखा भी प्रभावित कर रहे है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति

समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृतरूप से चर्चा व विचार—विमर्श किया गया जिसके नुकसान को गांव के लोग आज तक भूल नहीं पाएं हैं, और जिसका व्यापक प्रभाव समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ा है। समुदाय के साथ चर्चा से यह निकलकर आया कि ग्राम सरवन तारा में वर्ष 1984 में बाढ़ आई थी। इसमें 25 कच्चे घर नष्ट हो गये थे तथा 200 एकड़ की खेती—बाड़ी के साथ पशुपालन भी प्रभावित हुआ था। इसके बाद 2014, 2020 एवं 2022 में बाढ़ ने पूरे गांव को प्रभावित किया है जिसमें जनधन का भारी नुकसान हुआ है।

1993 में तापमान अत्यधिक होने पर आगजनी की घटना ने गांव को प्रभावित किया जिसमें 10 पशु की मृत्यु तथा 4 घर जलकर नष्ट हो गये। वर्ष 2017 में ओलावृष्टि एवं 2021 में बहुत तेज आंधी—तूफान की घटना हुई जिससे पूरा गांव प्रभावित हुआ था। इसमें 4—5 बच्चों की मौत हो गई थी। पिछले 5 वर्षों से सूखे ने लगभग पूरे गांव को प्रभावित किया है। जिससे मुख्यरूप से धान की फसल प्रभावित हो रही है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 04 देखें।

ग्राम पंचायत सरवन तारा को आपदा की पहचान एवं प्राथिमीकीकरण के आधार पर निम्न आपदाएं प्रभावित करती हैं —

आपदा का	जन0	फर0	मार्च	अपै0	मई	7	जून	जुला)	अग0	सित0	अक	ਟ੍ਰo	नव0	दिस0
नाम															
जलजमाव															
बाढ़															
ओलावृष्टि															
आंधी															
आगजनी															
सूखा															

आपदा का ऐतिहासिक मानचित्रण, मौसमी कैलेण्डर एवं समुदाय में हुई चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि मानसून के दिनों में वर्षाविहिन दिनों की संख्या में वृद्धि एवं कम दिनों में अधिक वर्षा, एवं गर्मी के मौसम में तापमान में वृद्धि से बहुत सारी समस्याओं का सामना गांव वालों को करना पड़ रहा है। कम दिनों में अधिक वर्षा एवं घोलवा नाले में जलस्तर बढ़ने से जलजमाव की समस्या प्रत्येक वर्ष होती है। तापमान में अत्यधिक वृद्धि एवं तेज हवा के कारण आगजनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उपरोक्त आपदाओं का समुदाय एवं विभिन्न संसाधनों पर पड़ने वाले संभावित / अनुमानित प्रभाव एवं जोखिम के साथ होने वाले नुकसान, आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्गों पुरूष, महिला, वृद्धजन, बच्चे दिलत एवं वंचित समुदाय की सिक्रिय भागीदारी से प्राप्त की गई।

आपदाओं का प्रभाव ग्राम पंचायत सरवन तारा के भौतिक, प्राकृतिक संसाधनों एवं आधारभूत संरचना के साथ ही मानवजीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका आदि पर पड़ रहा है। बाढ़, जलजमाव, ओलावृष्टि, एवं सूखा, आदि का विभिन्न क्षेत्रों पर, विभिन्न प्रकार से, सरवन तारा ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोखिम की संभावना बनती है। समुदाय के साथ चर्चा के दौरान गांव के लोगों ने माना है कि इन जोखिमों से तरह—तरह के नुकसान को सहना पड़ता है जो निम्नवत् है—

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

कम	आपदा / जोखिम का क्षेत्र		संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र							
	खतरे		जोखिम	आबादी	घर	संसाधन				
1.	बाढ़ एवं जलजमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना, जलजनित बीमारी का जोखिम	मोरान पुरवा, पासी पुरवा एवं रोहतरनगर	44 घर	20 उथले निजी हैण्डपम्प का जलस्तर दूषित				
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बहकर फैल जाना शौचालय निष्क्रिय	पूरा गांव	309 घर	नाली, सड़क, खड़न्जा, पशुशाला शौचालय				
		स्वास्थ्य	जलजनित बिमारियों (टाइफाइड, डायरिया, दस्त आदि) का होना	पूरा गांव	309 घर	500 लोग प्रभावित				
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिती कम होना।	पूरा गांव	309 घर	सड़क, विद्यालय भवन				
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्वजन, बच्चें, विकलांग, महिलाओं के गिर जाना / घायल हो जाना	पूरा गांव	205 वृद्घ 425 बच्चे 12 गर्भवती महिलाएं 8 विकलांग	सड़क टूट जाना एवं आवागमन बाधित				
		घर	कच्चे घरों के गिरना	पूरा गांव	50 मिट्टी एवं फूस के घर	18 घर प्रभावित, 6 घर नष्ट				
		٠	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बोआई में विलम्ब, बीमारियों, कीट का प्रकोप		300 खेतीहर घर	150 एकड़ खेत में जलजमाव,				
		वाटिका	पेड़–पौधें एवं सब्जी फसल खराब हो जाना।		_	2000 पेड़-पौधें 45 गृहवाटिका 20 एकड़ सब्ज़ी की फसल				
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बीमारी आदि का प्रकोप		250 घर	गाय, भैंस एवं बकरीपालन				
			स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	250 दिहाड़ी मजदूर	_	_				
		जल निकाय	जलनिकायों में गंदा पानी भरना	पूरा गांव	_	7 तालाब (5.2 एकड) जलनिकायों में गंदा पानी भरना				

		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार, खासपात की अधिकता कीट—पतंगों का प्रकोप			3 एकड़ खुले में खरपतवार, खासपात की अधिकता
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर का नीचे जाना पेयजल की कमी	पूरा गांव	309 घर	12 निजी नल का जलस्तर नीचे चला जाता है।
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गांव	309 घर	200 एकड़ खेती
		उधान / गृह वाटिका	सिंचाई लागत अधिक	पूरा गांव	_	45 गृहवाटिका
		पशुपालन	तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, उत्पादन कम होना आदि	गाय, भैंस एवं बकरी पालक	250 पशुपालक घर	2 एकड़ चारागाह में घास की कमी
3.	ओला— वृष्टि	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चें, वृद्वजन, महिलाओं के गिरने, चोट लगने का खतरा	पूरा गांव	50 कच्चे घर 8 विकलांग	कच्चे घरों का क्षतिग्रस्त होना, फसलों का नष्ट होना
		कृषि	ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान	पूरा गांव	300 घर	गेंहू एवं सरसों की फसल नष्ट
		पशुपालन	चारागाह, छोटे पशु जैसे बकरियों एवं बछड़ों आदि का घायल होना पशु क्षति की आशंका	पूरा गांव	250 पशुपालक घर	लगभग 2 एकड़ का चारागाह नष्ट

आजीविका के साधनों पर आपादा का प्रभाव

इस क्षेत्र के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, पशुपालन, कृषिगत एवं दैनिक मजदूरी है। जलजमाव के दौरान आजीविका हेतु लोग पलायन भी करते हैं। सरवन तारा ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या जलजमाव है।

विगत कुछ वर्षों से मई—जून में अत्यधिक गर्मी के पड़ने, मानसून के दौरान जून—जुलाई माह में वर्षा न होने या कम होने आदि से सूखा पड़ने के संकेत प्रतीत हो रहे हैं जिसका दूरगामी प्रभाव सिंचाई, पेयजल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुचारे पर पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय भी प्रभावित हो रहा है। विगत 10—15 वर्षों से प्रत्येक वर्ष खरीफ की फसल जलजमाव अथवा सूखे से प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रबी की फसल में आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, तेज गर्मी एवं लू के कारण कम पैदावार की संभावना भी अधिक बनी है। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं जिससे संबंधित सूचनाएं संकलित कर संलग्न की गई है।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 05 देखें।

3. नाजुकता विश्लेषण

प्रत्येक वर्ष विभिन्न आपदाओं से प्रभावित समुदाय आर्थिक एवं साामाजिक रूप से कमजोर हो जाता है। ग्राम पंचायत सरवन तारा एवं समुदाय को जलवायु परिवर्तन व आपदा जोखिम के प्रभावों से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन एवं नाजुक स्थल आदि की जानकारी अति आवश्यक है। इसे जानने के लिए ग्राम भ्रमण कर एवं ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, समुदाय, पशु

वैक्सीनेटर, प्राथमिक विद्यालय की प्राधानाध्यापक एवं आशा, आदि की मदद से नाजुक वर्ग (जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर), ग्राम पंचायत में नाजुक स्थान, एवं आपदा से प्रभावित होने वाले संसाधनों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी।

1. बाढ़

समुदाय के बुजुर्ग वर्ग से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत सरवन तारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहां 30 वर्ष पूर्व लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती थी और 10—15 दिनों बाद पानी गांव से बाहर निकल जाता था। गांव के उत्तर दिशा में नहर बनने के बाद बाढ़ कम आती हैं, किन्तु अब भी राप्ती नदी में जलस्तर बढ़ने से और अचानक अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ व जलजमाव की स्थिति बन जाती है। जिससे ग्राम पंचायत के सभी पुरवे एवं पूरी खेती प्रभावित होती है। 2022 में बाढ़ ने पूरे ग्राम पंचायत घर, खेती एवं पशुपालन को प्रभावित किया है।

समुदाय पर बाढ़ का प्रभाव

सरवन तारा ग्राम पंचायत के सभी पुरवे, खेत, सड़क, बाग—बागीचे, चारागाह 2022 की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

- 2022 की बाढ़ में 8 कच्चे (मिट्टी एवं फूस के बने) गिर गये है। लोगों ने प्राथमिक विद्यालय पर शरण लिया।
- पासी पुरवा, मोरानपुरवा, एवं रोहतर नगर के सभी घर बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं।
- कच्ची नालियां खराब हो जाती हैं, अर्थात टूट जाती है, मिट्टी से पट जाती है,जिसके परिणामस्वरूप जलनिकास बाधित हो जाता है।
- बाढ़ के बाद, 10—15 दिनों तक जलजमाव की स्थिति बन जाती हैं, लगातार पानी में पशु खड़े रहते है जिससे पशुओं विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे सर्रा, मुंहपका, खुरपका, गलाघोटू, आदि। चारागाह की घास एवं घर पर रखें चारे के नष्ट हो जाने से पशुओं को चारे की कमी हो जाती है, परिणामस्वरूप पशुउत्पादन प्रभावित हो जाता है। कई बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है।
- बाढ़ से 250 एकड़ खेत में जलजमाव से फसल नष्ट हो गई। धान, मक्का, एवं सब्ज़ी की खेती प्रभावित होती है। गृहवाटिका पूरी तरह नष्ट हो जाती है।
- शौचालय में पानी भर जाने से लोगों को खुले में शौच के लिए बाघ्य होना पड़ता है।
 महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित समस्या बढ़ जाती हैं, पेट में दर्द, खाज—खुजली एवं पैरों में सड़न आदि की समस्या हो जाती है।
- महिलाओं से चर्चा के दौरान निकल कर आया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें अतिरिक्त समय एवं ध्यान देना पड़ता है। माहवारी के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं।
- सड़कों पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो जाता है, जिससे आजीविका, शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर प्रभाव पडता हैं।

2. जलजमाव

सरवन तारा ग्राम पंचायत के उत्तर में राप्ती नदी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी से निकलती है, इसी नदी से जुड़कर दो नहर एवं एक नाला निकलता है। सरवन तारा ग्राम पंचायत नहर एवं नाले के बीच में स्थित है। ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में नहर एवं दक्षिण से पिश्चम दिशा घोलवा नाला निकलता है। जब मानसून के दौरान राप्ती नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है अथवा नेपाल से अचानक पानी छोड़ा जाता है, तब नहर और नाले में पानी की मात्रा अत्यिधक हो जाती हैं। घोलवा नाले की गहराई कम होने से एवं इसकी सफाई नहीं होने से, इससे पानी तेज प्रवाह के साथ नहीं निकल पाता हैं और ग्राम पंचायत के खेतों एवं बसाहट क्षेत्र में आ जाता है। गांव में निम्नलिखित परिस्थितियां जो जलजमाव व उसकी अविध में वृद्धि करते हैं —

- घोलवा नाले का उथला होना एवं मिट्टी, गाद, एवं कचरा भरा होना।
- ग्राम पंचायत की सडक से बसाहट क्षेत्र का नीचे होना।
- पूरे ग्राम पंचायत में नालियों की संरचना गांव के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार नहीं है, अर्थात उपयुक्त नहीं हैं। नालियां जगह—जगह से टूटी हैं। कई घरों से नालियां जुड़ी ही नहीं हैं। मोरानपुरवा एवं रोहतर नगर पुरवा पर अधिकाश कच्ची नालियां हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है। पासी पुरवा पर नाली की व्यवस्था नहीं होने से इस पुरवे के घरों का पूरा पानी इधर—उधर बहता है।
- गांव में सात तालाब हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 5.2 एकड़ है, सभी तालाब में गांव का गंदा पानी छोड़ा जाता हैं, किन्तु नाली की संरचना एवं स्वरूप उपयुक्त नहीं हैं। केवल एक तालाब में सीमेन्टेड नाली है, इसमें भी कोई जाली आदि नहीं होने से पानी के साथ कचरा तालाब में जाता है। इससे तालाब में कचरा भर जाता है।
- ग्राम पंचायत में कुल 21 कूंए हैं जिनमें से दो कुंए सुरक्षित है, इसके अतिरिक्त सभी कुंए कचरा एवं खरपतवार से भरें हैं।
- पासी पुरवा पर दो मकान अनियोजित ढंग से ग्राम पंचायत की जमीन पर बने हैं, जिसके परिणामस्वरूप पानी का प्रवाह बाधित होता है। नाली का पानी घोलवा नाले में नहीं निकल पाता है।

समुदाय पर जलजमाव का प्रभाव

ग्राम पंचायत के पांचों पुरवा पर जलजमाव की स्थिति बनती है। प्रत्येक वर्ष जलजमाव से समुदाय का आवास, आवागमन, खेती, पशुपालन, स्वास्थ्य एवं आजीविका पूरी तरह से प्रभावित होती है।

- शुक्ल पुरवा एवं सरवन तारा पुरवा के कुछ घर ऊंचे स्थान पर हैं, जहां जलजमाव नहीं होता हैं। जब अचानक अधिक वर्षा होती हैं अथवा गांव में पानी भरता है तो इन पुरवा पर भी 4–5 दिन के लिए जलजमाव रहता है, जिसके परिणामस्वरूप पशुपालन, सब्जी / पोषण वाटिका आदि प्रभावित होते है।
- प्रत्येक वर्ष 8-10 दिन तक जलजमाव से पासी पुरवा, मुरानपुरवा, एवं रोहतरनगर के घर प्रभावित होते हैं। जिन घरों की दीवार मिट्टी की है, उनकी दीवार में दरार पड़ जाती हैं, जिसे लोग बांस एवं लकड़ी आदि लगाकर सही करते हैं।
- जलजमाव के कारण गृहवाटिका नष्ट हो जाने से पुनः उनका निर्माण करना पड़ता है।
 परिणामस्वरूप महिलाओंका कार्यबोझ बढ़ जाता है।
- गांव का पूरा कूड़ा—कचरा निचले क्षेत्र में इक्टठा होता हैं, जो जलजमाव के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से विशेषकर समुदाय अधिक प्रभावित रहता है जैसे पैरों में सड़न, फोड़ा—फुंसी, सर्दी—जुकाम, दस्त, बुखार आदि।

- जलजमाव से भू—जल स्तर दूषित रहा है। पासीपुरवा, मोरानपुरवा, रोहतर नगर के सभी हैण्डपम्प, सरवन तारा के 5 हैण्डपम्प तथा शुक्लपुरवा के 5 हैण्डपम्प प्रत्येक वर्ष जलजमाव से प्रभावित होते हैं। इनकी नाली तथा चबूतरा भी टूटा हुआ है। इससे गांव में शुद्ध जल की अनुपलब्धता हो जाती है।
- घोलवा नाले के आस—पास की 150 एकड़ खेत में प्रत्येक वर्ष जल—जमाव होता हैं यदि जलजमाव का समय जून—जुलाई होता है तो धान की रोपाई में देर हो जाती है और यदि अगस्त—सितम्बर—अक्टूबर में तो पूरी धान, मक्का की फसल नष्ट हो जाती है। इससे बीज कीटनाशक, खरपतवारनाशक, आदि की लागत भी डूब जाती है।
- बरसात में जलजमाव होने के कारण आवागमन बाधित होता है। इससे लोगों की दिनचर्या, मजदूरी एवं बच्चों का शिक्षा बाधित होती है।

3. ओलावृष्टि एवं तूफान का प्रभाव

जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण ओलावृष्टि की आवृति एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है। समुदाय से चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि ओलावृष्टि गांव की तीसरी बड़ी आपदा है। सरवन तारा ग्राम पंचायत में अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर आधारित हैं। रबी की फसलों आलू, गेहूं, सरसों, समेत कई फसलों को भारी नुकसान होता है। चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि ओलावृष्टि से तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके अलावा दलहन, तिलहन एवं सब्जी की फसलों को भी नुकसान होता है।

मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तंत्र की पहुंच केवल 10 प्रतिशत लोगों तक ही है अतः समय पूर्व सूचना एवं जानकारी पूरे समुदाय को नहीं मिलती है। ओलावृष्टि का कोई अनुमान नहीं लगा पाने के कारण गांव में छोटे पशुओं जैसे बकरी, बछड़े आदि को बहुत नुकसान होता है। पशुओं का चारागाह नष्ट हो जाता है। पशु खुले में होते हैं तो उन्हें चोट लग जाती है, घायल हो जाते है, बीमार पड़ जाते हैं।

4. आगलगी

सरवन तारा ग्राम पंचायत के आसपास वनक्षेत्र, बंसवार, बाग—बगीचा हैं। अत्यधिक गर्मी एवं तेज हवा / आंधी के कारण आगलगी जैसी घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। गांव में झोपड़ी व फूस के 16 प्रतिशत घरों एवं पक्के मकानों के साथ भी पशु आश्रय फूस के होने से आगलगी का जोखिम बढ़ जाता है।

पभाव

ग्राम पंचायत के सभी पुरवे पर फूस के घर है। मोरानपुरवा, रोहतरनगर एवं पासी पुरवा अधिकांश घर पूरी तरह से फूस के बने हुए हैं। अत्यधिक तापमान एवं गर्मी में खाना बनाते समय एवं पशुशाला एवं खुले स्थान पर मच्छर आदि की रोकथाम के लिए जलाए गये अलाव आदि में असावधानी हो जाने से आगलगी का खतरा बढ़ जाता है। इस गांव में 1993 में 4 घर पूरी तरह जल गये थे साथ ही 10 पशुओं की मृत्यू भी हो गई थी।

5. सूखा

सरवन तारा ग्राम पंचायत में 7—8 वर्ष पहले बरसात जून माह से अगस्त माह तक होती रहती थी, सितम्बर में भी बारिश हो जाती थी। किन्तु विगत 5 वर्षों से असमय वर्षा हो रही है। बरसात के मौसम में जून में वर्षा नहीं होती है और जुलाई माह में एक—दो दिन में ही अधिक वर्षा हो गई इससे खरीफ के मौसम में सूखा जैसी स्थिति बन जा रही है। निम्नलिखित गतिविधियां सूखे की स्थिति में वृद्वि कर रही हैं।

- गांव में सात तालाब हैं। सभी तालाब में गांव का गंदा पानी छोड़ा जाता हैं, किन्तु नाली की संरचना एवं स्वरूप उपयुक्त नहीं हैं। केवल एक तालाब में सीमेन्टेड नाली है, इसमें भी कोई जाली आदि नहीं होने से पानी के साथ कचरा तालाब में जाता है।
- गांव में कुल 21 कुंए है, जो भूमिगत जलस्तर का प्रबंधन कर सकते है। इसमें से केवल 2 कुंए सुरक्षित हैं। ये पत्थर से ढक्कन से ढंके है। इसके अतिरिक्त 17 कुंए में पानी के साथ पालीथीन, गंदगी, खरपतवार, मिट्टी आदि से भरा हुआ है। 2 कुंए पूरी तरह कचरे से पटकर नष्ट हो चुके है। परिणामस्वरूप जलधारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- खेतों में रसायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खाद का प्रयोग कम है, परिणामस्वरूप मृदा में जलधारण की क्षमता कम होने से सूखे का प्रभाव फसलों पर प्रदर्शित हो रहा है।

सूखा का समुदाय पर प्रभाव

- विगत 5 वर्षों से सूखे के प्रभाव से खरीफ की फसल में गांव के लगभग 50 प्रतिशत किसान धान की रोपाई देर से करते हैं। जो किसान धान की रोपाई करते हैं उनके सिंचाई की लागत बढ़ गई हैं। वर्ष 2022 में सितम्बर माह तक वर्षा नहीं होने से धान की रोपाई देर से की गई और अतिरिक्त सिंचाई की गई। इस गांव का 100 एकड़ की खेती का उपज सूखे से प्रभावित होती है।
- जानवरों को चारा का संकट हो जाता है साथ ही तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बिमारियां हो जाती हैं। दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढ़ाचागत संरचना में किमयां हैं जो कि निम्नवार हैं —

- सरवन तारा ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी भवन, जूनियर विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द, सामुदायिक भवन आदि नहीं हैं। इसके साथ ही ऊंचे स्थान की कमी होने कारण बाढ़ अथवा जलजमाव के समय लोगों को शरण लेने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। पशुओं को रखने हेतु कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता है।
- गांव में जनसुविधा केन्द्र के नहीं होने से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी एवं जुड़ाव से समुदाय के लोग वंचित रह जाते हैं।
- गांव में अधिकांशतः मक्का, गन्ना, गेंहू सरसों, एवं धान ही उगाते है। कुछ लोगों ने विगत कुछ वर्षों से मेन्था की खेती शुरू की है। खेती में विविधता, मिश्रित खेती, एवं मिश्रित फसलों एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि संबंधित गतिविधियां न के बराबर है। जिससे किसानों को आपदा के समय जोखिम का सामना करना पडता है।
- लोगों में जागरूकता की कमी है, लोगों को कृषिगत, कल्याणकारी योजनाओं संबंधित जानकारी का अभाव है। जिससे समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। लोग खेती एवं पशुपालन तो करते ही है, किन्तु फसलों की बीमारी एवं कीटों के अनुसार कीटनाशक

एवं खरपतवारनाशी आदि की जानकारी कम हैं। नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसलबीमा आदि की जानकारी न के बराबर है। कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।

 ग्राम स्तर पर लघु / सूक्ष्म उद्योग, पारम्परिक रोजगार में कमी, जैसे कुल्हड़ बनाना, रस्सी बनाना आदि नहीं है। पर्याप्त मात्रा में बंसवार उपलब्ध होने के बावजूद बांस से बनी वस्तुओं से रोजगारपरक कार्य संबंधित जागरूकता नहीं है।

4. क्षमता विश्लेषण

गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से एवं आपदाओं के सन्दर्भ में गांव स्वयं में कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं, जोखिम एंव खतरों से गांव के साथ उसके आसपास उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते है। यह संसाधन भौतिक, पर्यावरणीय एवं मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध होते है। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में आसानी होती है अर्थात यह संसाधन मददगार होते हैं।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को तीन भागों में विभक्त किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण एवं सुविधा मानचित्र पर अंकित किया गया, जबिक मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं, जो निम्न प्रारूप पर दर्ज हैं—

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से दूरी

विवरण	संख्या	संपर्क व्यक्ति का नाम एवं संख्या	पंचायत भवन से दूरी
		९५ सञ्चा	
पंचायत भवन	01	प्रधान दिलीप कुमार शुक्ला	०० किमी
		9935596915	
प्राथमिक विद्यालय	01		0.7 किमी
कूड़ा पृथक्कीकरण क्रेन्द्र	01		0.8 किमी
सोलर जल टंकी	01		0.3 किमी
पूर्व माध्यमिक विद्यालय (सीताद्वार)	01		04 किमी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (इकौना)	01		15 किमी
सरकारी बीज केन्द्र	01		04 किमी
थाना (गिलौला)	01	9454404305	०९ किमी
तहसील (इकौना)	01		15 किमी
विकास खण्ड कार्यालय (इकौना)	01		15 किमी
पोस्ट ऑफिस, (इकोना)	01		15 किमी
बिजली विभाग, (भिनगा)	01		30 किमी
फायर स्टेशन (भनगा)	01	101, 9454418334	35 किमी
जिला मुख्यालय (भनगा)	01		35 किमी
बस स्टेशन (इकोना)	01		15 किमी
रेलवे स्टेशन (बलरामपुर)	01		45 किमी
बाजार	01		15 किमी

बैंक	01	15 किमी
छोटी नहर	01	0.2 किमी
बड़ी नहर	01	0.7 किमी

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन /	संख्या	विवरण / नाम / संपर्क संख्या	दूरी
पर्यावरण	ीय संसाधन			
1.	तालाब	7	भुतहवा तालाब	0.5 — 01
			हगनी तालाब	किमी
			पोखरा तालाब	
			शिवरहवा तालाब	
			मंशा तालाब	
			नहनवा तालाब	
			श्रीराम तालाब	
2.	कुंआ	21	सभी पुरवा पर एवं खेत के पास	01 किमी
3.	नाला	01	घोलवा	01 किमी
4.	झील	01	सीताद्वार झील	04 किमी
5.	बाग	03	राम नरेश मौर्या (100 पेड़ आम)	0.2-0.9
			दिलीप कुमार शुक्ला (100 पेड़	किमी
			फलदार, सागौन, पापुलर)	
			राजेन्द्र पासवान	
			रेवती रमण शुक्ला	
			राजेन्द्र पाण्डेय	
			ओम प्रकाश (200 पेड़ यूकेलिप्टस)	
6.	नदी	01	राप्ती नदी	08 किमी
7.	कृषिगत क्षेत्र	250		01 किमी
		एकड़		
8.	खुला क्षेत्र / सामुदायिक भूमि	11	८ एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है।	0.8 किमी
	भूमि	एकड		

मानव र	पंसाध न			
1.	ग्राम प्रधान	01	श्री दिलीप कुमार शुक्ला	0.0 किमी
			9935596915	
2.	शिक्षक—शिक्षिका	02	डा० चंदा वर्मा —7985853060	0.7 किमी
3.	आशा बहू	01	श्रीमती सौरभ शुक्ला — 7081573295	0.8 किमी
4.	एएनएम	01	श्रीमती इंदू — 9082915071	0.2 किमी
5.	पंचायत सहायिका	01	श्रीमती कमलेश कुमारी	0.2 किमी
6.	पशु वैक्सीनेटर	01	श्री राहुल कुमार — 9628238118	1.0 किमी
7.	आपदा मित्र	05	श्री राजेश कुमार — 9838100957	0.5 किमी
			श्री निखिल कुमार — 9305347996	
			श्री राहुल कुमार — 9620238118	
			श्री शिवम कुमार — 7097856066	
			श्री सर्वेश कुमार — 7318579554	
8.	बैंक सखी	01	सुश्रा अरूणिमा शुक्ला — 6391367405	0.5 किमी
9.	भूतपूर्व सैनिक	01	_	_

आपदा के समय ग्राम पंचायत में उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन व सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुविधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि इन सुविधाओं तक समुदाय की पंहुच हो और इससे समुदाय लाभान्वित हो रहे हो।

ग्राम पंचायत सरवन तारा राष्ट्रीय राज मार्ग 730 श्रावस्ती बहराइच से 3 किमी की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। गांव की सभी पुरवा के बाहर से पिच सड़क है। गांव अन्दर आवागमन हेतु खड़जा और मिट्टी की सड़क है। यह गांव ओडीएफ प्लस होने के कारण यहां पर साफ—सफाई संबंधित विकास कार्य जैसे सामुदायिक शौचालय, कूड़ा प्रबंधन हेतु कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र, नाडेप, प्लास्टिक इकत्र करने हेतु लोहे की जाली, वर्मी, सोख्ता एवं व्यक्तिगत शौचालय आदि की सुविधा है। बच्चों के शिक्षा हेतु एक प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेतु व्यवस्था की गई है।

गांव से जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नालियां कई स्थानों पर बनी नहीं हैं और जो नालियां हैं वह भी टूटी हुई हैं। जिसके कारण वर्षा के दिनों जलजमाव की समस्या होती है।

पेयजल हेतु 25 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प हैं। सरवन तारा पुरवा पर शुद्ध पेयजल हेतु जलनिगम का सौर उर्जा संचालित जलआपूर्ति की व्यवस्था है। इससे 10 घर जुड़े है। इससे सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु 1 टोंटी भी है।

ग्राम पंचायत में प्राकृतिक संसाधन जैसे छोटे—बड़े 7 पोखरे है। जिसमें से एक पोखरे पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य चल रहा है। 21 कुंए हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। गांव के पास वन क्षेत्र है। पशुपालन के लिए 2 एकड़ का चारागाह है।

ग्राम पंचायत के सभी पुरवा पर आस—पास बंसवार, बागबागीचे हैं जिसमें आम, कटहल, अमरूद महुआ, आदि फलदार वृक्षों के व्यक्तिगत बागीचे हैं। टिम्बर वाले वृक्ष भी गांव में लगें है। सागौन, पापुलर, जामुन, शीशम, यूकेलिप्टस आदि के वृक्ष भी है। खेतों में मेड़बदी हैं, सड़क के किनारे आम अमरूद एवं बबूल आदि के पेड़ लगे हैं।

यहां 8 महिलाओं की स्वयं सहायता कार्यरत है जिसमें से सभी का बैंक से लिंक है किन्तु कोई भी समूह आयजनक कार्य नहीं कर रहें है।

गांव में समुदाय आधारित संस्थाएं नहीं हैं 5 युवाओं ने आपदा बचाव का प्रशिक्षण जनपद स्तर से प्राप्त किया है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को इनका सहयोग मिलता है।

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे—

कम.	मद	वर्ष 2022—23
1.	15वां वित्त आयोग	8,00,000 / —
2.	स्वयं के राजस्व का स्रोत (ओ०एस०आर)	_

क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत सरवन तारा की कार्य योजना

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी सहभागी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टरवार जानकारी प्राप्त करने के लिए समुदाय समूह चर्चा के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे मं जानकारी प्राप्त की गयी।उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार–विमर्श के बाद "क्लाइर्मट स्मार्ट ग्राम" अवधारणा के तहत योजना को तैयार किया गया है जिसमें आपदा जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में संकलन कर तैयार किया गया है। की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों अन्तर्गत आने वाले विभिन्न बिन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति, उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं सेक्टरवार क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत सरवन तारा की कार्य योजना तालिका —

ф н	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
-	सेक्टर 1— मानव विकास एवं	कचरे से पटे 17 कुंए की सफाई, सरक्षा एवं मरम्मत	कुंए की सफाई, मरम्मत, चबूतरा उच्चीकरण, कुंए का ढक्कन	शुक्ल पुरवा —3 सरवनतारा —7	17 लाख	2 माह गर्मी के मौसम	15वां वित्त आयोग
		का कार्य	?	रोहतर नगर —3 मोरानपुरवा —4		本	
5	स्वच्छता	कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 20 कूड़ा पात्र रखवाना	शुक्ल पुरवा — 8, सरवनतारा — 6	40 हजार	15 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
				पासी पुरवा — 2 रोहतर नगर —3			
				मोरानपुरवा — 2			
હ		सामुदायिक शौचालय निर्माण	महिला / पुरुष हेतु शौचायल	पासी पुरवा	१५ लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
4		नाडेप जैविक खाद का	व्यक्तिगत स्तर पर 15 वर्मी	शुक्ल पुरवा – 4 वर्मी, 15 नाडेप	7 लाख	3 माह	15वां वित्त
		पिट निर्माण	कम्पोस्ट एवं 45 नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	सरवनतारा — 5 वमी, 15 नाडेप पासी पूरवा — 2 वर्मी, 5 नाडेप	5 हजार		आयोग / मनरेगा / कृषि विभाग
				रोहतर नगर – 2 वर्मी, 5 नाडेप मोरानपुरवा – 2 वर्मी, 5 नाडेप			J
က်		इण्डिया मार्का हेण्डपप्म रिबोर	पेयजल की उपलब्धता हेतु 15 हैण्डपम्पों को रीबोर कराना	शुक्ल पुरवा — 3 सरवनतारा — 4	6 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग
				पासी पुरवा — 2			
				रोहतर नगर – 3			
				मोरानपुरवा — 3			

1	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
	सेक्टर 1—	गंदे पानी के	गंदे पानी की सफाई हेतु 2 जैविक	शिवरहवा तालाब — 1	20 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा –	साफ–सफाई हेतु जैविक जलशोधक केन्द्र	जलशोधक केन्द्र	छोटी नहर के पास – 1			
	साफ—सफाई एवं	जलनिकासी हेतु मोटे	गंदे पानी के गांव से बाहर निकास	मोरानपुरवा–रोहतर नगर संपर्क	20 लाख	1 माह	15वां वित्त
	स्वच्छता	साइफन को लगवाना	हेतु मोटे साइफन लगवाना एवं	मार्ग पर			आयाग / मनरेगा
			संबंधित कार्य	पासी टोले की सड़क पर			
i		नाली निर्माण कार्य	आरसीसी 300 मीटर 2 फीट गहराई	कोटेदार के घर से विजय कुमार	3 लाख	5 माह	15वां वित्त
				तिवारी के घर तक		बरसात के	
			आरसीसी 70 मीटर 2 फीट गहराई	कमलेश के घर से अजय के घर		बाद	
				तक			
			आरसीसी 40 मीटर 2 फीट गहराई	बुद्धसागर के घर से कोटेदार के			
				घर तक			
			आरसीसी 60 मीटर 2 फीट गहराई	कोटेदार के घर से विनय तिवारी			
				के घर तक			
			आरसीसी 80 मीटर 2 फीट गहराई	सिंघा पाण्डेय के घर से सरवन			
				तारा के पूरब में नाली तक			
			आरसीसी 110 मीटर 2 फीट गहराई	ए० नाथ शर्मा के घर से मेन			
				नाली तक			
			आरसीसी 70 मीटर 2 फीट गहराई	रोहतरनगर मेन गांव से मुख्य			
				नाली तक			
			आरसीसी 210 मीटर 3 फीट गहराई	पासीपुरवा फुतन पासी के घर से			
				घोलवा नाला तक			
			आरसीसी 400 मीटर 2 फीट गहराई	राम दयाल चौधरी के घर से			
				हगनी तालाब तक			
1	T	हैण्डपम्प के चबूतरे का	10 ਵੈਂਧਤਪਸ਼੍ਧ 3 फੀਟ ਲੰਬਾ	सरवनतारा — 5, (1.5 फीट)	2 लाख 25	1 माह	
		उच्चीकरण	5 ਵੈਂਪਤਪਸ਼੍ਧ 1.5 फੀਟ ਲਾਂਬਾ	मोरानपुरवा — ३ (३ फीट)	हजार		
				पासीपुरवा — 1, (3 फीट)			
				रोहतरनगर – 1 (३ फीट)			
				शुक्लपुरवा — 5 (३ फीट)			

| P a g e

ф н	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम		परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
10.	सेक्टर 1-	हैण्डवाश स्टैंण्ड	पानी की टंकी, 10 टोंटी वाला हैण्डवास	प्राथमिक विद्यालय पर	1 लाख	2 ਸਾਵ	15वां वित्त
	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा –		स्टैण्ड (आरसीसी चबूतरा के साथ)			बरसात के बाद	
11.	साफ—सफाई एवं	नाला जीर्णोधार	3.8 किमी घोलवा नाले की गहराई 5 फीट	मलावा जब्दा से जानकी नगर तक	60 लाख	3 माह	15वां वित्त
	स्वच्छता		तक साफ–सफाई एवं 3 स्थान पर जाली लगवाना				
12.		जल आपूर्ति संयत्र का	पानी की टंकी एवं व्यवस्था संबंधित	सरवन टोला	50 हजार	10 दिन	जल निगम
		मरम्मत कार्य	रेट्रोफिटिंग एवं मरम्मत कार्य				एवं 15वां वित्त
13.	सेक्टर 2-	आंगनवाड़ी केन्द्र का	1 कमरा, बेबी शौचालय, बरामदा आदि	प्राथमिक विद्यालय के पास	10 लाख	6 माह	15वां वित्त
	बुनियादी / आधारभूत	निर्माण					आयोग
14.	संरचना एवं	स्वास्थ्य केन्द्र का	2 कमरा, बरामदा, शौचालय आदि	पोखरा नामक तालाब के पास	12 लाख	9 माह	15वां वित्त
	पयोवरण	निर्माण					आयोग
15.		मोबाइल कूड़ा गाड़ी	कचरा उठाने एवं कूड़ा पृथ्यकीकरण केन्द्र तक ले जाने हेतु गाड़ी	पंचायत भवन के पास	2 लाख	1 দাह	15वां वित्त
16.		सोख्ता गढ्डा	भूगर्भ जल प्रबंधन हेतु 45 सोख्ता गढ्डा	शुक्ल पुरवा — 10	5 लाख	1 माह	15वां वित्त एवं
				सरवनतारा — 13			/ मनरेगा
				पासी पुरवा — 7			
				रोहतर नगर -7			
				मोरानपुरवा — 5			
17.		तालाब जीर्णोधार एवं		1. शिवरहवा तालाब	36 लाख	4 ਸਾਫ਼	15वां वित्त एवं
		संरक्षण	वृक्षारोपण आदि कार्य				/ मनरेगा / वन
			शिवरहवा (०.३ एकड़), पोखरा तालाब (१	3. हगनी तालाब			विभाग
			एकड्), हगनी (0.4 एकड़), भूतहवा (1	4. भूतहवा तालाब			
			_				
18.		सौर ऊर्जा द्वारा स्ट्रीट		शुक्ल पुरवा — 14	9 लाख	3 माह	15वां वित्त
		लाइट	ऊजों के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था	सर्वनतारा – 16			
				पासी पुरवा – 5			
				l b			
				मोरानपुरवा — 5			

ф н	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
9.	सेक्टर 2— बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	सौर ऊर्जा द्वारा घरों में प्रकाश की व्यवस्था	54 घरों के छतों पर सीर ऊर्जा के लिए पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था (छत का क्षेत्र 1620 वर्ग मीटर)	54 लामार्थी का घर	21 लाख 16 हजार	3 माह	15वां वित्त
20.		सड़क का उच्चीकरण आरसीस / इन्टरलॅिकिंग	ज्मी) की सड़क का उच्चीकरण अंचा) प्र सड़क का उच्चीकरण (2फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (2फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (2फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (1फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (2फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (1फीट) प्र सड़क का उच्चीकरण (1फीट)	मुख्य सड़क से पैदामी पुरवा सड़क तक कालीमाता मंदिर से पासी पुरवा तक प्राथमिक विद्यालय से अलीनगर संपर्क मार्ग तक रामदयाल के घर से पासी पुरवा तक पक्की सड़क से विश्वरहिया तालाब तक मुख्य पक्की सड़क से नाथ शर्मा के घर तक मुख्य पक्की सड़क से पानी की टंकी तक मुख्य पक्की सड़क से पानी की टंकी तक प्राथमिक विद्यालय से जयकरननाथ के घर तक पुख्य पक्की सड़क से पंचायत भवन तक मुख्य पक्की सड़क से पंचायत भवन तक मुख्य पक्की सड़क से वंद्यायत के घर तक मुख्य पक्की सड़क से वंद्यापत के घर तक मुख्य पक्की सड़क से बंद्यापत के घर तक मुख्य पक्की सड़क से बंद्यापत के घर तक मुख्य पक्की सड़क से बंद्यापर के घर तक बुद्धसागर के घर तक बुद्धसागर के घर से रामजी के घर तक बुद्धसागर के घर से रामजी के घर तक	1 करोड़ 30 लाख	10 माह बरसात के बाद	15वां वित्त एवं एवे मनरेगा
21.		हाट पैड का निर्माण	4 फीट उंचा 400 वर्ग मीटर चबूतरा एवं टीनशेड	पासीपुरवा के पास	8 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग
22.		खेल का मैदान	एक टीनशेड 150 वर्ग मीटर चबूतरा, खुला मैदान, बाउण्डरी आदि	छोटी नहर के पास	26 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग

ф	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अविद्य	योजना का परिव्यय
23.	सेक्टर 3– आजीविका, कृषि, पशुपालन	नर्सरी का निर्माण	समूह के माध्यम से पालीहाउस/नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	20 डिसमिल में ट्यूबवेल के पास	2 लाख	6 माह	मनरेगा
24.		स्थाई पशु आश्रय स्थल	50 पशु आश्रयस्थल का निर्माण	सभी टोले पर	15 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत सरवन तारा की आगामी क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान दिलीप कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में सूचना की गयी कि दिनांक 09.02. 2023 को पंचायत भवन, सरवन तारा पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत सरवन तारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 09.02.2023 को पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पशु वैक्सीनेटर एवं सहायक, बैंक सखी, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, पंचायत सहायिका, सफाईकर्मी के साथ पांचों मजरे के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरूष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 72 लोगों (पुरूष—42, महिला—22 एवं बच्चे—8) भाग लिया।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या- 01 देखें।

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत स्थितियों, संबंधित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित पंचायत सिचव, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पशु वैक्सीनेटर एवं सहायक, बैंक सखी, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी एवं सदस्य, पंचायत सहायिका, सफाईकर्मी के साथ पांचों मजरे के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरूष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे, समुदाय के लोगों ने ग्राम पंचायत के पांचों मजरों का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर रोहतरनगर, मोरानपुरवा, पासी पुरवा, शुक्ल पुरवा उसके पश्चात् सरवन तारा के साथ 2 तालाब, 5 बाग, प्राथमिक विद्यालय, एवं कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 02 देखें।

सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित पंचायत भवन के परिसर में खुली बैठक में प्रतिभाग किये महिला एवं पुरूष समुदाय के उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर गांव की आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की गई।

विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या— 03 देखें।

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत सरवन तारा की आगामी क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण हेतु ग्राम पंचायत के समग्र जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राम प्रधान दिलीप कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2023 को पूरे ग्राम सभा में सूचना की गयी कि दिनांक 09.02. 2023 को पंचायत भवन, सरवन तारा पर खुली बैठक आयोजित की गई है।

खुली बैठक

ग्राम पंचायत सरवन तारा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 09.02.2023 को पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन किया गया। इस खुली बैठक में पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पशु वैक्सीनेटर एवं सहायक, बैंक सखी, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य,

पंचायत सहायिका, सफाईकर्मी के साथ पांचों मजरे के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरूष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे उपस्थित हुए। इस में ग्राम पंचायत के सभी तीन मजरों से कुल 72 लोगों (पुरूष–42, महिला–22 एवं बच्चे–8) भाग लिया।



इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार शुक्ला ने किया। बैठक के प्रारम्भ में सभी का स्वागत व परिचय ग्राम पंचायत सचिव श्री महेश कुमार सोनी जी द्वारा किया गया। बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला एवं बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बताया और



कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सरकार इस दिशा में गांव के विकास हेतु सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश विभिन्न जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन व आपदा के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहें हैं। इसका पूरा प्रभाव हमारे ग्रामपंचायत एवं ग्रामवासियों पर पड़ रहा है। इसलिए श्रावस्ती जनपद भी सिम्मिलत है। श्रावस्ती जनपद के सरवन तारा ग्राम पंचायत को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है।

इसके उपरांत ग्राम प्रधान श्री दिलीप कुमार शुक्ला ने बताया कि पहले भी हमारे ग्राम पंचायत विकास योजना बनी है। किन्तु आगामी चार दिनों में जलवायुगत / मौसम से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करना है। जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। उन्होंने बैठक में सिम्मिलित हुए पूरे समुदाय से निवेदन किया कि गांव की जलवायुगत एवं मौसम से संबंधित स्थितियों की जानकारी हमें देनी है, समस्या पर चर्चा होना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण-

प्रशासनिक समिति	निर्माण कार्य समिति	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
अध्यक्ष – श्री दिलीप कुमार शुक्ला	अध्यक्ष – श्री विजय कुमार तिवारी	अध्यक्ष — श्रीमती सत्यवती देवी
सदस्य	सदस्य	सदस्य
श्रीमती सुमन देवी	श्रीमती सुमन देवी	श्रीमती सुमन देवी
श्री हिमांशु शुक्ला	श्री हिमांशु शुक्ला	श्री हिमांशु शुक्ला
श्री विजय यादव	श्री विजय यादव	श्री विजय यादव
श्री जवाहरलाल श्री राकेश	श्री जवाहरलाल श्री राकेश	श्री जवाहरलाल
श्रीमती हेमावती	श्रीमती हेमावती	श्री राकेश
		श्रीमती हेमावती
पेयजल, स्वच्छता एवं जल प्रबंधन	नियोजन एवं विकास समिति	शिक्षा विभाग समिति
समिति	अध्यक्ष – श्रीमती नीतू देवी	अध्यक्ष — श्री घनश्याम
अध्यक्ष – श्री रामकुमार मिश्र		
	सदस्य	सदस्य
सदस्य	श्रीमती सुमन देवी	श्रीमती सुमन देवी
श्रीमती सुमन देवी	श्री हिमांशु शुक्ला	श्री हिमांशु शुक्ला
श्री हिमांशु शुक्ला	श्री विजय यादव	श्री विजय यादव
श्री विजय यादव	श्री जवाहरलाल	श्री जवाहरलाल
श्री जवाहरलाल	श्री राकेश	श्रीमती हेमावती
श्री राकेश	श्रीमती हेमावती	श्री राकेश
श्रीमती हेमावती		

वार्ड मेम्बर की सूची

11 वार्ड

- श्रीमती हेमावती
- श्रीमती सत्यवती
- श्रीमती नीतू देवी
- श्रीमती सुमन देवी
- श्री विजय कुमार तिवारी
- श्री राम कुमार मिश्र
- श्री हिमांशु शुक्ला
- श्री विजय कुमार यादव
- श्री जवाहर लाल
- श्री राकेश कुमार
- श्री घनश्याम

ट्रांजेक्ट वाक (ग्राम भ्रमण)

समग्र ग्राम पंचायत के जलवायुगत स्थितियों, संबंधित आपदाओं एवं उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों को समझने की दृष्टि से खुली बैठक में उपस्थित पंचायत सिचव, ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, पशु वैक्सीनेटर एवं सहायक, बैंक सखी, समूहसखी, स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी एवं सदस्य, पंचायत सहायिका, सफाईकर्मी के साथ पांचों मजरे के ग्रामीण किसान, महिलाएं एवं पुरूष, बुजुर्ग ग्रामवासी एवं बच्चे, समुदाय के लोगों ने ग्राम पंचायत के पांचों मजरों का ट्रान्जेक्ट वॉक किया। पंचायत भवन से यह वॉक शुरूकर रोहतरनगर, मोरानपुरवा, पासी पुरवा, शुक्ल पुरवा उसके पश्चात् सरवन तारा के साथ 2 तालाब, 5 बाग, प्राथमिक विद्यालय, एवं कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र के साथ पुनः पंचायत भवन पर समाप्त हुई।

ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियाँ

बसाहट	5 टोले सरवन तारा के शुरूआत में बाये दिशा में कूड़ा प्रबंधन केन्द्र एवं सामुदायिक शौचालय है। यहीं से आगे बढ़कर शुक्लपुरवा है जिसकी सड़के कच्ची है जिसमें पक्के एवं कच्चे मकान है, जानवर खुले स्थान में बधें है जानवरों का चारा रखने के लिए बांस एवं फूस से बनी संरचना हैं एवं भूसा आदि रखने हेतु लोगों ने कच्चे कमरे भी बनाएं हैं।
	मुख्य सड़क के दाहिने दिशा में पंचायत भवन है और इसके सामने इस गांव का मुख्य मजरा सरवन तारा है। यह ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी मजरा है। इस मजरे पर अधिकांश मकान पक्के है एवं कुछ कच्चे है। मुख्य सड़क पर आगे मोरानपुरवा है यहां पर अधिकांश मकान कच्चे हैं। 2 पक्के मकान बने हैं, कुछ मकान पूरी तरह से फूस के है कुछ मिलेजुले टीनशेड, फूस, पक्की दीवार के साथ एसबेस्टस की छत के बने हैं। इसकी सड़क पूरी तरह से कच्ची हैं, अधिकांश कच्चे मकान हैं। यहां पक्के मकान 3 है के साथ टीनसेड के मकान है। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी बसाहट वाली पासी पुरवा गांव के दक्षिण दिशा में है। यहां कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की भूमि पर फूस के मकान बनाए है। यह पुरवा पूरी तरह से निचली भूमि में बसी है। यहां दो पक्के मकान है एक मकान प्रधानमंत्री योजना में बना है। गांव में कुंआ, सरकारी एवं निजी हैण्डपम्प, तथा जल आपूर्ति की टोंटी भी है। गांव में कुछ मिट्टी के मकान पूरी तरह बाढ़ में गिर गये थे। शुक्ल पुरवा टोले
	का एक कुंआ ढंका एवं सुरक्षित है, अन्य कुंए कूड़े एवं खरपतवार से भरे हैं। सभी पुरवा पर गृहवाटिका हैं जिसमें मूली, बैगन, गोभी मिर्चा, प्याज, धनिया आदि सब्ज़िया दिखी। अधिकांश घरों में गाय, भैंस, बकरी, आदि पशु हैं।
ताल–तलैया	7 तालाब भुतहवा तालाब एवं हगनी तालाब शुक्लपुरवा एवं सरवनतारा मजरे के पास है मुख्य सड़क के बगल में पोखरा तालाब है। नहनवा तालाब एवं श्रीराम तालाब नहर के पास है। मलाबा—अलीनगर संपर्क मार्ग के किनारे शिवरहवा तालाब

	उपस्थिति है। जिस तालाब पर अमृत सरोवर बन रहा है, वह तालाब बड़ी नहर के
	पास है।
नाला	ग्राम पंचायत के दक्षिण-पश्चिम दिशा में घोलवा नामक एक नाला निकलता है।
	जो पासी पुरवा के पास से गुजरता है। इसकी सफाई कराने की आवश्यकता है।
हरित क्षेत्र	पूरे ग्राम पंचायत में बंसवार की प्याप्त मात्रा है। सभी पुरवा के आसपास एवं
बाग—बगीचा	संडुक के किनारे बाग-बगीचे है। भ्रमण के दौरान सभी तालाब के पास पुराने
	बरगद, पीपल, बबूल, नीम आदि के पेड़ है।
	निजी फलदार वृक्षों आम, अमरूद, महुआ, कटहल आदि के बाग हैं इसके साथ ही
	प्राथमिक विद्यालय विद्यालय के पास भी बाग बगीचे है।
	गांव में सागौन, यूकेलिप्टस, पापुलर, शीशम के पेड़ भी हैं।
भौतिक संसाधन	पूरे ग्राम पंचायत में पेयजल हेतु 25 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प भी पेयजल हेतु गांव
	में उपलब्ध हैं। शुद्ध पेयजल हेतु जलनिगम का सौर उर्जा संचालित जलआपूर्ति
	की व्यवस्था है। जिससे सरवनतारा मजरे के 10 घरों को शुद्ध पेजजल प्राप्त होता
	था। अभी खराब होने से जलआपूर्ति बन्द है। सभी पुरवे पर लोगों के पास पेयजल
	हेत् निजी हैण्डपम्प भी हैं।
	1 प्राथमिक विद्यालय हैं जिसका पुराना भवन गिर चुका है, नया भवन बना है साथ
	ही बच्चों के खेलने के लिए शेड भी बना है। प्राथमिक विद्यालय के छत पर
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग हेत् व्यवस्था बनाई गई है।
	ग्राम पंचायत के उत्तर दिशा में दो नहर निकलती हैं, जिसे गांव के लोग सिंचाई
	हेत् उपयोग करते हैं।
	ग्राम पंचायत के शुक्ल पुरवा पर नाडेप के पिट सड़क के किनारे बने हैं। जिसमें
	फसल अवशेष एवं गोबर आदि दिखा।
	सड़क के किनारे एक कूड़ा पृथक्कीकरण केन्द्र बना हैं जिसके अलग–अलग पिट
	में सूखा एवं गीला कचरा के साथ शीशा एवं प्लास्टिक आदि पड़े है।
	पालीथीन जैसे कचरे को इकट्ठा करने हेतु लोहे की जाली की पांच संरचना है,
	जिसमें कुछ मात्रा में पालीथीन पड़ी है।



सामाजिक मानचित्रण

सभी मजरों के भ्रमण के उपरांत ग्राम पंचायत में उपस्थित पंचायत भवन के परिषर में समुदाय की उपस्थिति में सामाजिक मानचित्रण तैयार किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त सूचनाएं निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं—

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहदी का क्षेत्रफल	150 हे0	5 बसाहट, बाग–बगीचा एवं खेती का स्थान मिलाकर
कुल टोलों की संख्या	5	शुक्ल पुरवा
		सरवनतारा
		पासी पुरवा
		रोहतर नगर
		मोरानपुरवा
कुल घरों की संख्या	309	शुक्ल पुरवा (100घर), सरवनतारा (165 घर), पासी पुरवा
		(14घर), रोहतर नगर (15घर), मोरानपुरवा (15घर),
कुल पक्के घरों की संख्या	213	शुक्ल पुरवा (70घर), सरवनतारा (135घर), पासी पुरवा (2घर),
		रोहतर नगर (4घर), मोरानपुरवा (2घर),
कुल कच्चे घरों की संख्या	96	शुक्ल पुरवा (30घर), सरवनतारा (30घर), पासी पुरवा (12घर),
		रोहतर नगर (11घर), मोरानपुरवा (13घर),
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की	16	सभी टोले पर
संख्या		
विकलांग जनों की संख्या	8	3 महिला, 5 पुरूष
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	12	सभी टोले पर
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	25	शुक्ल पुरवा (9), सरवनतारा (11), पासी पुरवा (1), रोहतर नगर
		(1), मोरानपुरवा (3),


जातिगत / श्रेणीगत विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	127
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	129
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	53
कुल घरों की संख्या	309


ग्राम पंचायत सरवन तारा इकौना ब्लाक से पश्चिम दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरवन तारा ग्राम पंचायत के उत्तर में राप्ती नदी लगभग 8 किलोमीटर की दरी से निकलती है, इससे जुड़कर दो नहर एवं एक नाला निकलता है। इस ग्राम पंचायत में पांच बसाहट — शुक्ल पुरवा, सरवनतारा, पासी पुरवा, रोहतर नगर, मोरानपुरवा हैं। यहां ब्राहमण, कहार, कुर्मी, यादव, हरिजन, पासी कश्यप आदि जातियां है। कुल 16 परिवार आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग के है।

78 प्रतिशत लोग साक्षर की श्रेणी में आते है जबिक लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। 12 घर ऐसे हैं जहां महिला मुखिया है। सरवन तारा ग्राम पंचायत के दो पूरवा मोरानपुरवा एवं रोहतर नगर के निचले भाग में जलजमाव होता है। जबिक पासी पुरवा प्रत्येक वर्ष जलजमाव से प्रभावित होता है। इस पुरवा पर केवल दो पक्के घर है, और सभी घर कच्चे है, इस पुरवा पर जलजमाव से अत्यधिक क्षति होती है।

आजीविका के साधन



आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	10
छोटे उद्योग–धन्धे	0
कृषि आधारित	300
कला एवं शिल्पकार	0
पशुपालन	250
लोकल दुकान	15
गैर कृषि मजदूरी	125
अन्य	10



आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाकम

ग्राम पंचायत सरवन तारा के आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब—कब प्रभावित कर रही हैं। इस कम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा एवं घटनाकम जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि बाढ़ जलजमाव एक ऐसी आपदा है, जो समुदाय को प्रभावित कर रही है। साथ ही जलजमाव का प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक प्रभाव खेती एवं पशुपालन पर होता है। पशु एवं फसल उत्पाद के लिए बाजार न मिल पाने कारण, आजीविका प्रभावित होती है। हाल के वर्षों में सूखा का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त आंधी, ओलावृष्टि, आगजनी भी इस गांव को प्रभावित करती है जिसका प्रभाव फसलों एवं पशुपालन पर होता है।

प्राप्त सूचनाओं को निम्नवत् दर्ज किया गया है-

क्रम	वर्ष	आपदा	घटनाओं का	मृतको	प्रभावित	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया
		⁄ खतरा	कारण	की	लोगों की		गया कार्य
		2		संख्या	संख्या	,	
1.	1960	हैजा	गंदगी एवं	10	25	रोजगार बाधित	साफ–सफाई का कार्य
			तेज हवा			हुआ भरणपोषण में	किया गया।
						समस्या	
2.	1984	बाढ़	राप्ती नदी में	_	पूरा गांव	25 घर नष्ट	कोई कार्य नहीं
			पानी का		के लोग	200 एकड़ फसल	
			दबाव बढ़ना			नष्ट	
3.	1993	आगजनी	अत्यधिक गर्मी,	_	_	४ घर एवं	कोई कार्य नहीं
						१० पशु की मृत्यु	
4.	2006	ओलावृष्टि	मौसम खराब	_	पूरा गांव	पशुओं को चोट	कोई कार्य नहीं
					के लोग	फसल का नष्ट	
5.	2014	बाढ़	राप्ती नदी में	_	पूरा गांव	12 घर नष्ट	मेड़बदी का कार्य किया
			पानी का		के लोग	200 एकड़ फसल	गया।
			दबाव बढ़ना			नष्ट	,
6.	2017	ओलावृष्टि	मौसम खराब	_	पूरा गांव	पशुओं को चोट	कोई कार्य नहीं
					के लोग	एवं 12 पशुओं की	,
						मृत्यु	
						200 एकड़ गेंहू की	
						फसल नष्ट, 50	
						एकड सरसों,	
						अरहर, मसूर नष्ट	
7.	2020	बाढ	राप्ती नदी में		पूरा गांव	8 घर नष्ट	मेडबदी का कार्य किया
			पानी का		के लोग	200 एकड़ फसल	गया।
			दबाव बढ़ना			नष्ट	
8.	2021	आंधी	तेज हवा	_	पूरा गांव	50 घर के छप्पर	
		तूफान			6	नष्ट	
		, a				50 एकड की	
						फसल नष्ट	
9.	2022,	सूखा	बारिश कम	_	पूरा गांव	200 एकड़ खेत में	कोई कार्य नहीं
	2021,	ς.	हुई		के लोग	देर से रोपाई	
	2020,		जल संचयन				
	2019,						
	2010,						

	2018						
10.	2022	बाढ़	राप्ती नदी में	_	पूरा गांव	18 घर नष्ट	पशुओं का वैक्सीनेशन
			पानी का		के लोग	200 एकड़ फसल	एवं बीमा कराया गया।
			दबाव बढ़ना			नष्ट	
						पशुओं के रोग	
						50 पशु की मृत्यु	
11.	प्रत्येक	जलजमाव	नेपाल से पानी		पासी	निचले क्षेत्रों में	कोई कार्य नहीं
	वर्ष		छोड़े जाने से		पुरवाए,	अत्यधिक	
			राप्ती नदी में		रोहतर	जलजमाव,	
			पानी का		नगर,	खेतों में जलजमाव	
			दबाव बढ़		मोरानपुरवा	सड़क पर	
			जाने से,			जलजमाव,	
			सड़क का			पशुओं में सर्रा रोग,	
			निर्माण,			गलाघोटूं रोग,	
			घोलवा नाले			खुरपका, मुंहपका	
			की गहराई			रोग	
			कम एवं नाला			शौचालय भर जाना	
			पटा होना			सभी हैण्डपम्प का	
						पानी खराब	

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव

कमां क	आजीविका के प्रकार	परिवार की	आपदा	आपर	दा का प्रग	नाव	क्या प्रभाव पड़ता है ?
		संख्या		अधिक	मध्यम	कम	
1.	कृषि	300	बाढ़ व जल जमाव				 लगभग 250 एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है। आगामी कृषिगत गतिविधियों में समस्या होती है। रबी के मौसम में लगभग 250 एकड़ की भूमि में बुवाई का कार्य नहीं हो पाता है। धान की नर्सरी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। धान में बांदा (लीफ ब्लाइट) रोग लग जाता है। कम दिन के जलजमाव वाले क्षेत्र की पैदावार भी प्रभावित होता है। जलजमाव के कारण कृषि उत्पाद रखने एवं बाजार ले जाने समस्या
			सूखा ओलावृष्टि				होती है। • रोपाई में देर हो जाती है। • सिंचाई खर्च अधिक लगता है। • धान की नर्सरी खराब हो जाती है। • खेत की खड़ी फसल सूख जाता है। • फसलों की बढ़वार नहीं होता है। • सभी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। • फसलें नष्ट हो जाती है।
							 फसलों का बढ़वार प्रभावित हो जाती है। गृहवाटिका का उत्पादन प्रभावित होता है।
2.	मजदूरी	375	बाढ़ व जल जमाव				 मजदूरी कार्य की जानकारी नहीं मिल पाती है। आवागमन बाधित होता है। रोजगार बाधित होता है। कृषि कार्य में मजदूरी बाधित होती है। मनरेगा का कार्य नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी नहीं मिलती है।

			सूखा		कृषिगत मजदूरी का कार्य नहीं मिलता है।
					खान–पान पर प्रभाव पड़ता है।
					 आजीविका प्रभावित होती है।
					• आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है।
					• पलायन करना पड़ता है।
3.	पशुपालन (गाय, भैंस, बकरीपाल न, मुर्गीपालन आदि)	250	जल जमाव		 पशुओं को आश्रय नहीं मिल पाता है। पशुओं में बीमारी हो जाती है। गलाघोटूं एवं सर्रा होने पर मृत्यु हो जाती है। चारे की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चारागाह में जलजमाव में खराब हो है। 2 एकड़ की चारागाह की घास नष्ट हो जाती है।
					 फसल डूब जाने से सूखा चारा नहीं मिल पाता है।
			सूखा		 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है।
					 गाय—भैंसों को नहलाने के लिए पानी की कमी हो जाती है।
					• चारा कम हो जाता है।
					 तपती धूप के कारण पशुओं में भयंकर बीमारी का होना।
					 मुर्गीपालन में बहुत नुकसान होता है। चूजे मर जाते है।
			ओलावृष्टि		• पशुचारे की समस्या हो जाती है।
					 पशुओं में बीमारियां हो जाती है।
					 पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जात है।
					 बकरियों में पोकनी की बिमारी होने से बकरियों की मृत्यु हो जाती है।
4.	स्वयं का	15	ਯਕ		• सामान लाने में असुविधा होती है।
	व्यवसाय		जमाव		• सामान महंगा हो जाता है।
	(छोटी ——				 कच्चा माल खराब हो जाता है।
	दुकान अप रि)				जलजमाव के कारण माल के
	आदि)				रखरखाव में समस्या होती है।
		<u> </u>			

.....

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
हरि	त स्थानों अं	ौर जैवविविधता को बढ़ाना		
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है) चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना। चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।	वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि) ⁷⁸ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं) ट्री गार्ड (धातु) ⁷⁹ = ₹ 1,200 प्रति इकाई वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर	सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO ₂ e)
2	आरोग्य वन	 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/ हेक्टेयर माना जाता है
3	कृषि वानिकी	(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि- वानिकी गतिविधियां चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं) चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40%; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना चरण 3: शेष कृषि भूमि; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना	कृषि वानिकी की लागत® = ₹40,000/हेक्टेयर ⁸¹	

⁷⁸ वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

⁷⁹ लागत बाजार भाव के अनुसार

⁸⁰ कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

⁸¹ https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
सत	त कृषि			
1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50% चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100% चरण 3: मेड़ों का रखरखाव - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।	1 मी. मेड़बंदी के लिए82 = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	चरण 1: 5-10 तालाब चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव 1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³ ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁸³ = ₹ 90,000	

⁸² एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

⁸³ एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

4 प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना ट. फसल प्रणाली का परिचय-जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 व. एकीकृत खाद प्रबंधन-तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशाकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन	क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत 84: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 *	4	की ओर कदम	चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित	सत्र): ₹60,000 b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000 c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500 e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000 कुल लागत 84:	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई) चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना	10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत ⁸⁵ = ₹35,000 1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत ⁴⁴ = ₹35,000	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ) चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव	अनुमानित लागत®: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹७ लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (३०० मीटर³ क्षमता) का निर्माण = : ₹७ लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट	

जारी जायें

जल निकासी

के बुनियादी

ढांचे को

बढ़ाना

3

अधिकतर एचआरवीसीए

देखें

दस्तावेज़ में दी गई लागतों को

चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद

निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे

चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ

को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)

⁸⁵ छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

⁸⁶ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र सं		विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
स	तत और उन्न	ात गतिशीलता		
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत³ ⁷ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से ₹10 लाख	

क्र.	सुझायी गङ
सं.	गतिविधिय

विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)

संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मुला अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट
 प्रबंधन प्रणाली
 स्थापित करना

चरण 1:

- a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को सम्मिलित करना
- b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था
- c. कूड़ादानों की स्थापना
- d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना

कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें: बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58% गैर-बायोडिग्रेडेबल/ अकार्बनिक अपशिष्ट - 42% आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या88 = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (३१० किग्रा) कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
		चरण 2: a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव e. साझेदारी को बढ़ाना	प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना।	
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ⁸⁹ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से ₹1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ⁹⁰ = ₹15,000 3. प्लास्टिक श्रेडर यूनिट ⁹¹ = ₹50,000 प्रति यूनिट	

⁸⁹ लागत बाजार भाव के अनुसार

⁹⁰ एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

⁹¹ लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्ढों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है ⁹² = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष _ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण ॥ और ॥।: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्ढों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ⁹³ : 1. कम्पोस्ट गड्ढों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत ⁹⁴ संदर्भ: ₹35,00,000	

 $^{92 \}quad \text{https://www.biocycle.net/connection-CO}_2\text{-math-for-compost-benefits/\#:} \\ \sim : \text{text=In\%20the\%20process\%20of\%20making\%20compost\%20} \\ \text{the\%20microbes,food\%20waste\%20turns\%20into\%2050\%20kg\%20of\%}$

⁹³ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

⁹⁴ एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला विनिर्माण के क्षेत्र में 100	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
3	एकल- उपयोग- प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र.	सुझायी गई
सं.	गतिविधियां

विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है) संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव

स्वच्छ,सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सौर छतें चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत सौर क्षमता की गणना के लिए उत्पन्न वार्षिक एमएनआरई सोलर रूफटॉप भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, बिजली पोर्टल का उपयोग करें95। सीएससी आदि) (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ ਟਜ अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप वार्षिक स्वच्छ बिजली का CO< लगाने के लिए उपलब्धता उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोडें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365 चरण 2 और 3: प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर परिवार परिवार स्तर पर स्थापित कुल अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप क्षमता = परिवारों की संख्या * लगाने के लिए उपलब्धता 3 किलो वाट पॉवर मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों उत्पादन (किलोवाट में)= का 40% पारिवारिक स्तर पर स्थापित चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों कुल क्षमता (किलोवाट) *310 का 100% (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति kWh लागत = ₹50,00057 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित

बिजली/365

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि- फोटोबोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹1 लाख³६ प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत = ₹3 से 5 लाख⁵९	डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)

⁹⁶ स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार97 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छ खाना पकाना	चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता	1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000 2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000 1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000 %	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी पिरवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपिरक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना । चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा	1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70 1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220 1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110 ⁹⁹	

⁹⁸ बाजार दर के अनुसार लागत

⁹⁹ विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता /उत्सर्जन से बचाव
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/ आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000 1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000 ¹⁰⁰	
आ	जीविका औ	र हरित उद्यमिता को बढ़ाना		
1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत™: ₹8-15 लाख प्रति यूनिट	

¹⁰⁰ बाजार दर के अनुसार लागत 101 बााजाार माानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक v: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं,मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धितयों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी ३: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी ६: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के जल तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुन: इस्तेमाल को बढ़ाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a: अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी ७: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सिहत स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी ८: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ाना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी ९: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सतत और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी ११: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरिक्षत, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, जल और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुन: इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी १३: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी १५: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ाना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सिहत खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करनालक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौ3धों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण		
इमारती लकड़ी के पेड़					
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	ৰৰুল	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।		
फ़िकस रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।		
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।		
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि		
मधुका लोंगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।		
शोरिया रोबस्टा	डिपृरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।		
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।		
फल और जंगल	ठी खाद्य पौधे				
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है		
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल सम्मिलित हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।		
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।		

पौ3धों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियां, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।
औषधीय गुणों	वाले पेड़		
विथानियासोम्निफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंड्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैंथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौ3धों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्परैगस ऐडसेंडेंसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मीन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

नोट्स









